ऋण अनुबंध - वाहन/उपकरण फाइनेंस

यह अनुबंध, अनुबंध सूची में उल्लेखित स्थान और तिथि पर संपन्न किया गया।

ऋणकर्ता, सह-ऋणकर्ता जिनके विवरण इस करार के साथ संलग्न ऋण सार अनुसूची में अधिक स्पष्ट रूप से वर्णित हैं (यहाँ से आगे "ऋणकर्ता" के रूप में संदर्भित) और गारंटर/रों जिनके विवरण इस करार के साथ संलग्न ऋण सार अनुसूची में अधिक स्पष्ट रूप से वर्णित हैं (यहाँ से आगे "गारंटर" के रूप में संदर्भित), जिसका अर्थ जब तक संदर्भ या उसके अर्थ के विरूद्ध न हो, में उनके उत्तराधिकारी, निष्पादिती, प्रशासक, नामित, अनुमत समनुदेशिती और कानूनी प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, (जहां ऋणकर्ता/गारंटर एक व्यक्ति/एकमात्र स्वामित्व वाला फर्म है) अनुवर्ती हितधारक जैसा भी मामला हो (जहां ऋणकर्ता/गारंटर कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ में एक कंपनी है या अन्य कोई निगमित निकाय है), समय-समय पर फर्म के साझेदार, उनके उत्तरजीवी और उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि, नामिती और साझेदारों के वंशज (जहां ऋणकर्ता/गारंटर एक साझेदारी फर्म है) **पहले पक्ष** के रूप में

और

चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित और पंजीकृत एक कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय 'डेयर हाउस', नं. 2, एन.एस.सी. बोस रोड, पैरीज, चेन्नई - 600 001 में स्थित है, (यहाँ से आगे "कंपनी" कहा गया है) जिसके अर्थ जब तक संदर्भ या उसके अर्थ के विरूद्ध न हो, में उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी शामिल होंगे, **दूसरे पक्ष** के रूप में

जबकि

A) कंपनी अन्य के अतिरिक्त मोटर वाहन, मशीनरी, उपकरणतथा अन्य परिसंपत्तियों की खरीद/पुनर्वित्तीयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के व्यवसाय में संलग्न है;

B) ऋणकर्ता ने वाहन/मशीनरी/परिसंपत्ति की खरीद/पुनर्वित्तीयन के लिए वित्तीय सहायता हेतु कंपनी से अनुरोध किया है जो उक्त वाहन, मशीनरी,उपकरण या परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के विरूद्ध अनुसूची में अधिक पूर्णरूप से वर्णित है;

C) प्राप्त की जाने वाली ऋण सुविधा के संदर्भ में ऋणकर्ता कंपनी द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों जिनके बारे में आगे अधिक पूर्णरूप से वर्णित किया गया है, का पालन करने के लिए सहमत है और इस अनुबंध के तहत समस्त देय धनराशि कंपनी को चुकता कर दिए जाने तक, कंपनी द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किए जाने के सिवाय अनुसूची में उल्लेखित/गिरवी परिसंपत्ति की बिक्री, हस्तांतरण, बंधक, संकल्प या किसी अन्य प्रकार से जैसा भी हो, कार्य नहीं करेगा;

D) गारंटर ने ऋणकर्ता को उक्त वित्तीय सुविधा प्रदान करने के लिए कंपनी से अनुरोध किया है और उक्त को दृष्टिगत रखते हुए, इसमें निहित संविदागत निबंधन और शर्तों का ऋणकर्ता द्वारा समुचित रूप से पालन किए जाने तथा इस अनुबंध में निर्दिष्ट समस्त देयताओं का उसके द्वारा निस्तारण किए जाने के लिए गारंटर, कंपनी को गारंटी प्रदान करने हेतु सहमत है;

E) ऋणकर्ता तथा गारंटर द्वारा की गई उक्त वचनबद्धताओं के आधार पर कंपनी, ऋणकर्ता द्वारा वांछित ऋण प्रदान करने के लिए सहमत है, जिसके निबंधन व शर्तों के बारे में यहाँ से आगे विनिर्दिष्ट किया गया है;

अब यह अनुबंध निम्नानुसार संदर्शित है:

परिभाषाएं और व्याख्याएं:

इस अनुबंध में, विषय या उसके संदर्भ के विपरीत अन्यथा अपेक्षित न होने पर, नीचे सूचीबद्ध पदों का अर्थ निम्नानुसार होगा। जिन पदों और अभिव्यक्तियों को यहां स्पष्ट नहीं किया गया है, वहां उनकी व्याख्या और अर्थ वह होगा जो सामान्य उपबंध अधिनियम, 1897 के नियमों के अनुसार उनके लिए व्याख्या और अर्थ निर्धारित किए गए हैं।

a) व्यंजक **"अतिरिक्त ब्याज"** का अर्थ व इसमें कंपनी द्वारा अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर आरोपित कोई ब्याज सम्मिलित है जो मासिक किश्तों के भुगतान में किसी विलंब पर या देय तिथि से वास्तविक भुगतान तिथि तक ऋणकर्ता द्वारा कंपनी को देय और चुकता करने योग्य किसी अन्य धनराशियों पर लगाया जाता है।

b) शब्द **"अनुबंध"** का अर्थ और इसमें यह ऋण अनुबंध, अनुसूची/यां, कोई परिशिष्ट, पूरक अनुबंध या इस अनुबंध में या इसके बाद संलग्न अनुलग्नक सम्मिलित हैं।

c) शब्द **"परिसंपत्ति"** का अर्थ और इसमें इस अनुबंध की सूची में वर्णित नए या प्रयुक्त मोटर वाहन या कोई अन्य मशीनरी या उपकरण या कोई अन्य परिसंपत्ति/यां सम्मिलित हैं, जिनकी खरीद/पुनर्वित्तीयन के लिए यह ऋण स्वीकृत किया गया है और जो ऋणकर्ता द्वारा कंपनी के पक्ष में बंधक रहेंगे या प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत या हेतुक रूप में प्रस्तावित किए जाएंगे। "परिसंपत्ति/यों" में ऋणकर्ता द्वारा किसी भी समय पर बॉडी निर्माण, इंजन उन्नयन व इस प्रकार की अन्य समस्त अभिवृद्धियां एवं परिवर्धन सम्मिलित होंगे।

d) व्यंजक **"देय तिथि"** का अर्थ उस तिथि से है जब इस अनुबंध के अंतर्गत देय ऋण की मूल धनराशि, ब्याज और/या कोई अन्य धनराशि और/या ऋण की शेषराशि जैसा भी लागू हो, इस अनुबंध के किसी उपबंध के अंतर्गत भुगतान हेतु देय होती है।

e) व्यंजक **"इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सेवाएं"** या **"ईसीएस"** का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित ऋण समाशोधन सेवा से है जिसमें भागीदारी हेतु इस ऋण अनुबंध के अंतर्गत ईएमआई भुगतान सुगम बनाने के लिए ऋणकर्ता द्वारा लिखित सहमति प्रदान की गई है।

f) शब्द **"किश्त"** का अर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट मासिक भुगतान राशि से है जो ऋण की अवधि के दौरान ब्याज सहित ऋण परिशोधित करने के लिए अनिवार्य है।

g) शब्द **"ऋण"** का अर्थ इस अनुबंध तथा अनुसूची हेतु प्रदान की गई ऋण धनराशि से है।

h) शब्द **"समयपूर्व संवरण"** का अर्थ कंपनी द्वारा स्थापित नियमों एवं शर्तों के अनुसार, समयपूर्व किए जाने वाले भुगतान से है जो ऐसे भुगतान के समय लागू तथा प्रभावी हों।

i) व्यंजक **"पश्च दिनांकित "चैक(कों)"** या **"पीडीसी"** का अर्थ, किश्त की धनराशि हेतु ऋणकर्ता द्वारा कंपनी के पक्ष में आहरित होने वाले चैकों से है जिन पर अंकित तिथियां, प्रत्येक किश्त की तिथि के अनुरूप होंगी।

j) व्यंजक **"ब्याज दर"** का अर्थ इस अनुबंध के अनुच्छेद 2 में संदर्भित ब्याज दर से है।

k) शब्द "पुनर्भुगतान/चुकौती" का अर्थ ऋण मूलधन तथा उस पर ब्याज राशि सहित की किश्तों के माध्यम से पुनर्भुगतान/चुकौती से है जिसमें इस अनुबंध के अंतर्गत कंपनी को देय अतिरिक्त ब्याज या अन्य प्रकार से, प्रतिबद्धता और/या कोई अन्य प्रभार, अधिशुल्क, फीस या अन्य देयक शामिल हैं और इसका विशेष रूप से अर्थ इस अनुबंध के अनुच्छेद 6 हेतु निर्दिष्ट परिशोधन से है।

l) शब्द **"अनुसूची"** का अर्थ इस अनुबंध की अनुसूची से है।

1. ऋण की शर्तें

a) निम्न वर्णित नियमों के अंतर्गत कंपनी एतद्द्वारा ऋणकर्ता को परिसंपत्ति की खरीद/पुनर्वित्तीयन के लिए अनुसूची में निर्दिष्ट धनराशि (ऋण धनराशि) को ऋण के रूप में प्रदान करने के लिए सहमत है।

b) इस अनुबंध के तहत प्रदान किया जाने वाला ऋण अनुसूची में निर्दिष्ट ऋण समयावधि के अनुसार अवधि तक के लिए प्रदान किया जाएगा जो इसमें निर्दिष्ट तिथि (प्रथम किश्त की तिथि) से प्रारंभ होगी, जब तक कि इस अनुबंध को इसमें निर्दिष्ट विधियों से समयपूर्व निरस्त नहीं कर दिया जाता, और ऋणकर्ता और गारंटर संयुक्त रूप से और पृथक रूप से इस अनुबंध में निर्धारित शर्तों के अनुसार ऋणचुकौती करेंगे।

2. ब्याज:

a) ऋण राशि पर ब्याज की दर इस अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी और ऋण वितरित किए जाने की तिथि से ऋणकर्ता उसका भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।

b) अनुसूची में निर्दिष्ट ब्याज की दर, ऋण सुविधा की समयावधि के दौरान नियत रहेगी। हालांकि कंपनी द्वारा अपने विवेकानुसार, अनुबंध कालावधि में ऋण पर लागू ब्याज दर को कंपनी द्वारा बढ़ाते या घटाते हुए उत्तरव्यापी प्रभाव से पुनरीक्षित किया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन, स्वीकृति पत्र की शर्तों के अधीन होंगे और इनके बारे में ऋणकर्ता को सूचित किया जाएगा और ऋणकर्ता पर ये बाध्यकारी होंगे।

c) ब्याज और समस्त प्रभार दैनिक आधार पर प्रोद्भूत होंगे और वर्ष में 365 दिनों की संख्या तथा व्यतीत दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर परिकलित किए जाएंगे।

d) ऋणकर्ता इस अनुबंध के संदर्भ में या परिसंपत्ति के संबंध में पूर्वव्यापी या उत्तरव्यापी रूप से प्रभावी समस्त करों, उपकरों, अनुज्ञप्ति शुल्क, ब्याज पर कर, अन्य करों, बीमा प्रीमियम और अन्य प्रभारों/खर्चों का जो भी हों का भुगतान करेगा और यदि कंपनी ऐसे कोई भुगतान करती है तो इस संबंध में कंपनी की ओर से देयक सूचना पावती के बाद 3 दिनों के अंदर ऋणकर्ता कंपनी को इसकी प्रतिपूर्ति करेगा। यदि ऋणकर्ता उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति करने में विफल रहता है, तो अनुसूची में उल्लेखित दर पर अतिरिक्त ब्याज कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने की तिथि से प्रोद्भूत होगा और वह ऋणकर्ता द्वारा कंपनी को देय धनराशि में जोड़ा जाएगा।

e) इस अनुबंध के अंतर्गत उधारी एक वाणिज्यिक अंतरण है और ऋणकर्ता/गारंटर ब्याज प्रभारित करने से संबंधित सूदखोरी या अन्य कानूनों के अंतर्गत किसी प्रतिरक्षा का परित्याग करता है।

f) ब्याज का परिकलन - किश्त में मूलधन राशि तथा अनुसूची में उल्लेखित ब्याज दर के आधार पर परिकलित ब्याज राशि शामिल होगी जिसे मासिक घटती शेषराशि के आधार पर आगणित करते हुए निकटतम रुपये तक पूर्णांकित किया जाएगा। ब्याज और कोई अन्य प्रभार तीन सौ पैंसठ दिन के वर्ष के आधार पर परिकलित किए जाएंगे।

3. प्रोसेसिंग / सेवा प्रभार:

ऋणकर्ता ने किसी दबाव या प्रभाव के बिना कंपनी को एक प्रोसेसिंग प्रभार का भुगतान करने हेतु सहमति प्रदान की है जिस पर ऋण स्वीकृति हेतु ऋणकर्ता द्वारा कंपनी में आवेदन प्रस्तुत किए जाते समय सहमति व्यक्त की गई है। उक्त प्रोसेसिंग शुल्क/अप्रतिदेय सेवा प्रभार जिसके बारे में अनुबंध की अनुसूची(प्रोसेसिंग प्रभार) में अधिक विशिष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है, वह किन्हीं परिस्थितियों में ऋणकर्ता को प्रतिदेय नहीं होगा, भले ही ऋण स्वीकृति के उपरांत ऋण प्राप्त न किया जाये या या कंपनी द्वारा प्रदान न किया जाय।

4. वितरण:

a) ऋणकर्ता अपनी वांछना के अनुसार कंपनी द्वारा ऋण वितरण के तरीके से अवगत कराएगा। हालांकि, कंपनी को वितरण का प्रकार निर्धारित करने का पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त है , जिसे इस अनुबंध के अंतर्गत अवेक्षित, ऋणकर्ता को वितरण माना जाएगा। नई परिसंपत्तियां क्रय किए जाने के मामले में, कंपनी सीधे डीलर/निर्माता को वितरण करने का विकल्प चुन सकती है और ऐसा वितरण, ऋणकर्ता को किया गया वितरण माना जाएगा। प्रयुक्त परिसंपत्ति(यां) क्रय किए जाने के मामले में, कंपनी वितरण का प्रकार निर्धारित करेगी; अर्थात या तो परिसंपत्ति के मालिक/विक्रेता या डीलर को या ऋणकर्ता को वितरण किया जाएगा और ऐसा वितरण इस अनुबंध के अंतर्गत अवेक्षित, ऋणकर्ता को वितरण माना जाएगा। पुनर्वित्तीयन की स्थिति में, कंपनी ऋणकर्ता के पक्ष में कंपनी द्वारा निर्धारित तरीके से वितरण करेगी। ऋणकर्ता की ओर से किसी अन्य पक्ष को किए गए ऐसे समस्त वितरण, ऋणकर्ता को ही किए गए भुगतान माने जाएंगे जिसे ऋणकर्ता एतद्द्वारा स्वीकार करता है।

b) कंपनी द्वारा ऋण का वितरण किए जाने से पूर्व, ऋणकर्ता द्वारा परिसंपत्ति खरीदने के लिए मार्जिन धनराशि के रूप में अपने योगदान के भुगतान साक्ष्य दस्तावेज़ कंपनी को उपलब्ध कराए जाएंगे।

c) इस अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत कंपनी द्वारा ऋणकर्ता को किए गए समस्त वितरण केवल रेखांकित चैक से ही किए जाएंगे जिन पर "केवल खाते में देय" लिखा होगा। केवल आदाता या मांग ड्राफ्ट द्वारा, या भारतीय बैंकिंग प्रणाली द्वारा कोई अन्य स्वीकृत निधि हस्तांतरण प्रकार, कंपनी के पूर्ण विवेकानुसार होंगे। ऐसी समस्त चैकों या अंतरण प्रकारों के संदर्भ में संग्रहण प्रभार या ऐसे कोई अन्य आरोपित प्रभार, यदि कोई हों, ऋणकर्ता या उसके बैंक द्वारा चैक पारगमन/संग्रहण/वसूली में लगे समय से पृथक, ऋणकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।

d) ऋणकर्ता एतद्द्वारा सहमति प्रदान करता है कि ऋण धनराशि उगाही तिथि से पृथक, वितरण की तिथि चैक की तिथि या वह तिथि होगी जब कंपनी एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से सीधे ऋणकर्ता के बैंक खाते में जमा करे, जैसी भी स्थिति हो।

e) कंपनी की सहमति के अलावा तथा अनिवार्य निरस्तीकरण प्रभारों का भुगतान करे बिना, ऋणकर्ता ऋण निरस्त करने या वितरण स्वीकार करने से मना करने का अधिकारी नहीं है।

f) यदि ऋणकर्ता, ऋण राशि के वितरण के पश्चात किन्तु प्रथम किश्त देय तिथि से पूर्व किसी भी कारण से ऋण निरस्तीकरण हेतु अनुरोध करता है, तो कंपनी इस पर अपने पूर्ण विवेकानुसार विचार कर सकती है। ऐसी स्थिति में, कंपनी द्वारा निरस्तीकरण के प्रति सहमति के विषयाधीन, ऋणकर्ता वितरण की तिथि से ऋणकर्ता द्वारा पुनर्भुगतान/चुकौती किये जाने की तिथि तक वितरित ऋण राशि पर 18% प्र. व. या ऋणकर्ता को सूचित किसी अन्य दर से निरस्तीकरण प्रभारों के साथ ऋण चुकता करेगा।

5. पुरोभाव्य शर्तें:

ऋण धनराशि कंपनी द्वारा ऋणकर्ता को निम्न पुरोभाव्य शर्तें ("पुरोभाव्य शर्तें") पूरी करने पर वितरित की जाएगी। ऋणकर्ता/गारंटर पुरोभाव्य शर्तों का पालन एतद्द्वारा लिखित अनुसूची में उल्लेखित तिथि (अनुबंध की तिथि) या उस तिथि से जैसा कंपनी द्वारा बढ़ाया जा सकता हो, से किया जाएगा। ऐसी तिथि से पुरोभाव्य शर्त का पालन करने में विफलता पर कंपनी ऋण वितरण करने से मना कर सकती है और यदि किन्हीं कारणों या असाधारण परिस्थितियों में पहले ही वितरित किया जा चुका हो तो उसे पूर्णतया वापस लिया जा सकता है। ऋणकर्ता/गारंटर द्वारा पूरी किए जाने हेतु अपेक्षित पुरोभाव्य शर्तें निम्न हैं:

a) इस अनुबंध में निहित ऋणकर्ता/गारंटर के वक्तव्य और वारंटियां (i) एतद्द्वारा तिथि को, और (ii) अपेक्षित वितरण/ऋण की प्राप्ति की तिथि को (जैसे कि उस तिथि को की गईं) सत्य होंगी;

b) यदि कंपनी द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, कंपनी को स्वीकार्य गारंटी/(यां) कंपनी के पक्ष में निष्पादित की जाएंगी;

c) ऋणकर्ता कंपनी द्वारा अपेक्षित प्रकार से कंपनी को पश्च दिनांकित चैकें/ईसीएस आदेश/एसीएच/एनईएफटी/ऐसे कोई अन्य लागू मान्यकरण या लिखत(इंस्ट्रूमेन्ट्स) निष्पादित और प्रदान करेगा;

d) ऋणकर्ता और/या गारंटर/रों द्वारा कंपनी के पक्ष में ऐसी प्रतिभूति ("प्रतिभूति") सृजित की जाएगी जो कंपनी द्वारा स्वीकार्य हो सकती हो। ऐसी प्रतिभूति पर ऋणकर्ता/गारंटर का स्पष्ट व विपणनयोग्य हक होना चाहिए जो समस्त ऋणभारों, ग्रहणाधिकारों और स्वामित्व के दोषों से रहित हो। जहां ऋणकर्ता/गारंटर द्वारा ऐसी प्रतिभूति के सृजन हेतु लागू कानून के अंतर्गत कोई पंजीकरण और फाइलिंग किया जाना अपेक्षित हो, वहां इस संबंध में ऋणकर्ता/गारंटर ऐसे समस्त पंजीकरण और फाइलिंग कराएगा। इसके अलावा जहां ऋणकर्ता/गारंटर को ऐसी किसी प्रतिभूति के सृजन हेतु किन्हीं सहमतियों की आवश्यकता हो, वहां, ऋणकर्ता/गारंटर ऐसी प्रतिभूति के सृजन से पूर्व ऐसी सभी सहमतियां भी प्राप्त करेगा।

e) ऋणकर्ता/गारंटर और/या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जैसा कंपनी द्वारा अपेक्षित किया जा सकता हो, ऐसे अन्य दस्तावेज़ या लिखित विवरण निष्पादित करेगा जैसा कंपनी द्वारा अपेक्षित किया जा सकता हो, और ऐसे सभी अन्य कार्य करेगा और ऐसे अन्य दस्तावेज़ निष्पादित करेगा जैसा कंपनी द्वारा अपेक्षित किया जा सकता हो।

f) डिफॉल्ट (भुगतान में चूक) की घटना का अनस्तित्व: डिफॉल्ट की कोई घटना जैसा अनुच्छेद 10 में पारिभाषित है, न पहले हुई हो और न ही वर्तमान में चल रही हो।

g) अग्रिम किश्तें: ऋणकर्ता कंपनी को इस अनुबंध के निष्पादन के समय अनुसूची/(यों) में निर्धारित संख्या में या एतद्द्वारा इसके बाद किसी अन्य समय पर जैसा कंपनी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता हो, अग्रिम किश्तों का भुगतान करने के लिए सहमति प्रदान करता है। इस अनुबंध के अन्य प्रावधानों के विषयाधीन, अग्रिम किश्तें अनुसूची में निर्धारित तरीके से किश्तों के सापेक्ष समायोजित की जाएंगी। कंपनी अग्रिम किश्तों पर किसी ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी नहीं होगी।

6. पुनर्भुगतान/चुकौती:

a) ऋणकर्ता कंपनी को उस समस्त धनराशि, जो इस अनुबंध के तहत ऋणकर्ता द्वारा कंपनी को देय हो सकती है, कानियत समय पर बिना किसी विलंब या चूक के भुगतान करेगा। ऋणकर्ता इसे अभिस्वीकृत करता है कि पुनर्भुगतान/चुकौती समय-सारिणी की कड़ी अनुपालना, ऋण प्रदान करने की एक अनिवार्य शर्त है और वह समय इस अनुबंध का सार है।

b) ऋणकर्ता द्वारा किश्तों में पुनर्भुगतान/चुकौती अनुसूची में निर्धारित शर्तों के अनुसार की जाएगी। कंपनी के अधिकारों को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना, यहां उल्लेखित पुनर्भुगतान/चुकौती समय-सारिणी के अंतर्गत, मांग पर भुगतान किया जाएगा जैसा इस अनुबंध के अंतर्गत अपेक्षित है, जिसमें ब्याज तथा अन्य देयकों सहित समस्त ऋण राशि शामिल है जैसा इस अनुबंध के अंतर्गत अपेक्षित है। इसके अलावा, कंपनी के अधिकारों को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना किश्त का परिकलन/निर्धारण करते हुए किश्तों की धनराशि का पुनर्परिकलन किया जाएगा, जिसमें किसी स्तर पर किश्तों का गलत प्रकार से परिकलन करना पाया जाना शामिल है। हालांकि अनुसूची में वर्णित किश्तें अनुबंध समाप्त करने के कंपनी के अधिकार को प्रभावित नहीं करेंगी यदि किसी समय ऐसा करना उपयुक्त पाया जाता है और पहले से देय समस्त धनराशि तथा जो चुकता न की गई हो, यदि कोई हो, समस्त भावी किश्तों सहित और कोई अन्य धनराशि जो देय हो सकती हो, भावी किश्तों पर किसी छूट के विषयाधीन जैसा इसके द्वारा अनुमत हो सकता हो, के भुगतान की मांग की जाएगी।

c) ऋणकर्ता द्वारा कंपनी को देय समस्त धनराशि देय तिथियों को या उससे पूर्व चेन्नई में पंजीकृत कार्यालय/शाखा कार्यालय के पते पर बिना किन्हीं कटौतियों के जो भी हों, चुकता की जाएगी। हालांकि चाहे भुगतान देय तिथियों से पूर्व किए गए हों, भुगतानों के लिए क्रेडिट केवल देय तिथियों पर या इंस्ट्रूमेन्ट्स के रियलाइजेशन (धन प्राप्ति) में से जो भी बाद में हो, होने पर ही दिया जाएगा।

d) डीलर/निर्माता द्वारा ऋणकर्ता को परिसंपत्ति प्रदान किए जाने से पृथक तथा किन्हीं विवादों, आपत्तियों, विरोधों, शिकायतों या परिवादों से रहित और के बावजूद जो ऋणकर्ता के डीलर/निर्माता के साथ या उसके विरूद्ध या परिसंपत्ति की प्रदायगी के संबंध में या परिसंपत्ति के संबंध में हो सकते हों, ऋणकर्ता किश्तों का भुगतान इस अनुसूची में निर्दिष्ट प्रकार से करने के लिए बाध्य होगा।

e) हालांकि अतिरिक्त ब्याज की वसूली ऋणकर्ता को पुनर्भुगतान/चुकौती अनुसूची की कड़ी अनुपालना के दायित्व से मुक्त नहीं करती है जो कि ऋण प्रदान किए जाने के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

f) ऋणकर्ता इसकी पुष्टि करता है कि उसने किश्तों के आगणन तथा मूलधन और ब्याज के विभाजन की गणना करने की कंपनी की विधि को ध्यान देकर पढ़ लिया, समझ लिया है और उसके प्रति सहमत है।

g) यदि देय तिथि को अवकाश हो, तो भुगतान उसके अगले कार्यदिवस में किया जाएगा।

7. किश्तों के भुगतान का प्रकार:

a) यहां वर्णित निबंधनों एवं शर्तों के विषयाधीन, ऋण का पुनर्भुगतान/चुकौती पश्च दिनांकित चैकों द्वारा या नकद धनराशि प्रेषण या मांग ड्रॉफ्ट द्वारा या स्थायी अनुदेशों (एसआई)/इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (ईसीएस) या कंपनी द्वारा समय-समय परस्वीकृत ऐसी किसी अन्य विधि से किया जाएगा जिसमें कंपनी को ऋणकर्ता के बैंक खाते से सीधे डेबिट द्वारा देय किश्तों की वसूली के लिए अधिकृत किया गया हो।

b) ऋणकर्ता द्वारा किश्तों के लिए कंपनी को पश्च दिनांकित चैकें/ईसीएस आदेश प्रदान करने होंगे। ऐसी पश्च दिनांकित चैकों या आदेशों की प्रस्तुति, ऋणकर्ता द्वारा कंपनी को ऐसी चैकों/आदेशों को जो अग्रिम प्रदान किए गए हैं, उनकी संबंधित तिथियों पर आहरण हेतु उन्हें प्रस्तुत करने के लिए शर्तरहित तथा अविकल्पी प्राधिकार माना जाएगा और ऋणकर्ता यह जिम्मेदारी लेता है कि चैकों/आदेशों को प्रस्तुत किए जाने पर आदरित किया जाएगा।

c) कोई पीडीसी/ईसीएस प्रस्तुत करने से पहले कंपनी द्वारा ऋणकर्ता को कोई नोटिस, अनुस्मारक, या सूचना नहीं दी जाएगी।

d) यदि अनुच्छेद 6(a) के अनुपालन में ऋणकर्ता द्वारा प्रदत्त कोई एक या एकाधिक या समस्त पीडीसी/ईसीएस
   (i) कंपनी की अभिरक्षा में होने के समय खो, नष्ट, या गुम हो जाते हैं या
   (ii) हस्ताक्षरी या एक से अधिक हस्ताक्षरियों (यदि एक से अधिक हैं) की मृत्यु, दिवालिया होने, पागल होने, प्राधिकार की समाप्ति या किसी अन्य प्रकार से, या आदेशिती बैंक के परिसमापन या अधिस्थगन के कारण भुनाने (नकद कराने) योग्य नहीं रह जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऋणकर्ता कंपनी की ओर से उक्त चैकों के बारे में ऐसी हानि, नष्ट, या गुम होने की (जैसी भी स्थिति हो) सूचना प्राप्त करने पर या उक्त वर्णित किन्हीं कारणों से भुनाने (नकद कराने) योग्य न रह जाने पर कंपनी को उतनी संख्या में अन्य चैक प्रदान करेगा जो खो, नष्ट, गुम, या भुनाने (नकद कराने) के अयोग्य हुये चैकों के पर्याप्त बराबर हों या कंपनी को स्वीकार्य और द्वारा अनुमोदित प्रकार से ऋण के पुनर्भुगतान/चुकौती की उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था करेगा।

e) ऋणकर्ता की सहमति है और उसने समझ लिया है कि कंपनी द्वारा किन्हीं चैकों का किन्हीं भी कारणों से (भुनाने हेतु) प्रस्तुत न किया जाना, इस अनुबंध के अंतर्गत देय धनराशि चुकता करने के ऋणकर्ता के दायित्व को प्रभावित नहीं करता है। (ऋणकर्ता द्वारा कंपनी को पहले दी गईं या एतद्द्वारा बाद की अवधियों में प्रदत्त) चैक (कों) के किसी भी कारण से जैसा भी हो, किसी विलंब, चूक, या नकदीकरण न होने (अनादरण), क्षति या हानि के लिए कंपनी किसी भांति उत्तरदायी नहीं होगी।

f) अपेक्षित होने पर, ऋणकर्ता, कंपनी की अनुमति के विषयाधीन, निर्गत तथा एक बैंक में आहरित चैकों को अन्य बैंक की चैक से बदल/अदला-बदली कर सकता है जिसके लिए प्रत्येक प्रतिस्थापन पर अनुसूची में निर्दिष्ट धनराशि का भुगतान कंपनी को स्वैप (अदला-बदली) प्रभार के रूप में करना होगा।

g) इस अनुबंध के अंतर्गत और/या प्रचलित कानून के अंतर्गत कंपनी के हो सकने वाले किन्हीं अन्य अधिकारों या उपचारों को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना ऋणकर्ता, प्रत्येक प्रस्तुतिकरण पर प्रत्येक पीडीसी/ईसीएस के अनादरण हेतु अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर चैक अनादरण प्रभारों का भुगतान करने के लिए दायी होगा। चैक/ईसीएस अनादरण पर प्रभार वसूली, परक्राम्य लिखत (इंस्ट्रूमेन्ट्स नेगोशिएबल) अधिनियम, 1881 यथासंशोधित तथा समय-समय पर प्रवर्तित तथा अन्य संबंधित कानूनों के अंतर्गत कंपनी को प्राप्त अधिकारों को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना होगी।

i) धनप्रेषण बाहरी (आउटस्टेशन) चैकों के माध्यम से किए जाने पर ऋणकर्ता अनुसूची में उल्लेखत चैक संग्रहण प्रभारों जिन्हें कंपनी के विवेकानुसार समय-समय पर पुनरीक्षित किया जा सकता है, का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

j) अनुसूची में उल्लेखित प्रभार, कंपनी के पूर्ण विवेकानुसार परिवर्तित किए जा सकते हैं।

k) ऋणकर्ता ऋण या उसकी कर्जदारी का कोई अंश देय और बकाया रहने तक पीडीसी/ईसीएस के संदर्भ में निरस्त करने या भुगतान रोक अनुदेश जारी करने का अधिकारी नहीं है और ऐसा कोई कृत्य करना धोखाधड़ी के इरादे से किया गया, और परक्राम्य लिखत (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेन्ट्स) अधिनियम, 1881 यथासंशोधित तथा समय-समय पर प्रवर्तित के अंतर्गत अभियोजन से बचाव का प्रयास माना जाएगा और कंपनी को ऋणकर्ता के विरूद्ध उपयुक्त आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ करने का अधिकार होगा।

l) इस अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत समय-पूर्व समापन को सम्मिलित करते हुए ऋण संवरण (समाप्ति) की स्थिति में, कंपनी के पास मौजूद पीडीसी को ऋणकर्ता 60 दिनों के अंदर वापस प्राप्त कर सकता है जिसमें विफल रहने पर कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह ऋणकर्ता को कोई सूचना दिए बिना उन्हें नष्ट कर दे।

8. प्रतिभूति

a) कंपनी द्वारा ऋणकर्ता को ऋण सुविधा प्रदान किए जाने या प्रदान किए जाने हेतु सहमत होने को दृष्टिगत रखते हुए, यहां वर्णित नियमों एवं शर्तों के विषयाधीन, ऋणकर्ता एतद्द्वारा कंपनी के पक्ष में विशिष्ट प्रथम प्रभार प्रदान करते हुए परिसंपत्ति को, समस्त सहायक उपकरणों (एसेसरीज), उक्त परिसंपत्ति से या उसमें वर्तमान या भावी परिवर्धनों, परिसंपत्ति में किए गए या किए जाने वाले नवीकरणों और प्रतिस्थापनों सहित बंधक रखता है। ऋणकर्ता यह भी सहमति देता है और जिम्मेदारी स्वीकार करता है कि वह ऐसे अन्य दस्तावेज़ निष्पादित और/या फाइल और/या उन्हें ऐसे प्राधिकारियों के समक्ष पंजीकृत कराएगा जैसा परिसंपत्ति पर कंपनी का प्रभार सम्पूर्ण बनाने के लिए कानूनन या कंपनी द्वारा अनिवार्य हो सकता हो।

b) परिसंपत्ति का बंधक किया जाना, इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने या ऋणकर्ता को परिसंपत्ति की प्रदायगी किए जाने में से जो भी पहले हो, होने के बाद तुरंत हुआ माना जाएगा।

c) परिसंपत्ति के एक वाहन होने की स्थिति में, ऋणकर्ता उसे अपने नाम से कानूनन निर्दिष्ट समयसीमा के अंदर पंजीकृत कराएगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि पंजीयन प्रमाणपत्र में, कंपनी के पक्ष में वाहन को बंधक किया जाना समुचित पृष्ठांकित और दर्ज किया जाए।

d) कंपनी द्वारा परिसंपत्ति को लिखित रूप में दृष्टिबंधन से मुक्त किए जाने तक ऋणकर्ता कंपनी द्वारा पूर्व अनुमोदन लिए बिना किसी भी तरीके से जो भी हो, परिसंपत्ति या उसके किसी अंश का विक्रय, हस्तांतरण नहीं करेगा या अन्य कोई दृष्टिबंधन, प्रभार, गिरवी, रेहन, धारणाधिकार, या ऋणभारित नहीं करेगा। ऋणकर्ता परिसंपत्ति या उसके किसी भाग को कब्जे में, किराए पर, पट्टे पर, त्याग या अनुज्ञप्ति या अन्य किसी प्रकार से किसी को नहीं देगा और कोई ऐसा कृत्य, विलेख, मामला या कार्य नहीं करेगा या करना अनुमत नहीं करेगा जो परिसंपत्ति पर कंपनी के अधिकारों व हितों को किसी भांति प्रभावित या प्रतिकूल प्रभावित कर सकता हो।जहां परिसंपत्ति एक गैर-पंजीकृत वाहन/उपकरण है, ऋणी यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त गैर-पंजीकृत वाहन/उपकरण की मूल इनवाइस में अनिवार्य परिवर्तन किए जाएं जैसा कंपनी द्वारा आवश्यक हो सकता हो। यदि ऋणी एक कंपनी है, तो यह विधिक समय-सीमा में प्रभार, कंपनियों के निबंधक के यहां पंजीकृत कराएगा और निर्दिष्ट समयसीमा में प्रभार पंजीकरण प्रमाणपत्र को कंपनी के पक्ष में जमा करेगा।

e) यदि परिसंपत्ति इस अनुबंध के निष्पादन के समय ऋणकर्ता को सुपुर्द नहीं की गई है या परिसंपत्ति/दृष्टिबंधन नहीं कराया गया है, जहां परिसंपत्ति एक वाहन है, तो परिसंपत्ति के विवरण, पंजीयन/दृष्टिबंधन सहित, जहां परिसंपत्ति एक वाहन हो, सुपुर्दगी लेने और/या पंजीयन के बाद एक सप्ताह के अंदर ऋणकर्ता द्वारा कंपनी को सूचित किए जाएंगे और ऐसे विवरण इस अनुसूची में इस भांति समाविष्ट किए जाएंगे कि उन्हें अनुबंध के निष्पादन के समय समाविष्ट किया माना जाएगा। ऋणकर्ता इस अनुबंध के किसी परिणामस्वरूप इसमें किसी परिवर्तन की याचना करने, या वैधता, या परिसंपत्ति पर कंपनी के पक्ष में सृजित प्रभार की प्रवर्तनीयता को चुनौती देने का अधिकारी नहीं होगा।

f) ऋणकर्ता ऋण तथा उस पर ब्याज राशि हेतु प्रतिभूति के प्रकार से कंपनी के पक्ष में एक मांग वचनबद्धता पत्र भी निष्पादित करेगा।

g) परिसंपत्ति को बंधक किया जाना, ऋणकर्ता द्वारा कंपनी के साथ इस अनुबंध या किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत देय समस्त धनराशियों जिनमें ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, लागतें, प्रभार, और वे अन्य धनराशियां सम्मिलित हैं जो इसके नियमों व शर्तों के अंतर्गत बकाया और देय हो सकती हों का समुचित भुगतान कर दिए जाने तथा एतद्द्वारा सृजित प्रतिभूति के निस्तारण संबंधी प्रमाणपत्र कंपनी द्वारा निर्गत कर दिए जाने तक प्रभावी और लागू रहेगा।

h) यह दृष्टिबंधन, ऋणियों की मृत्यु, दिवालिया होने, शारीरिक या मानसिक विकलांग होने, परिसमापन (स्वैच्छिक या अन्य प्रकार से) किसी विलय या समामेलन, पुनर्गठन, प्रबंधन का अधिग्रहण, विघटन या राष्ट्रीयकरण (जैसा भी मामला हो) या ऋणकर्ता की स्थिति में अन्य किसी परिवर्तन के होने से प्रभावित, बाधित या निस्तारित नहीं होगा।

i) गारंटर एतद्द्वारा निःशर्त गारंटी प्रदान करता है कि इस अनुबंध के अंतर्गत ऋणकर्ता द्वारा देय समस्त व प्रत्येक धनराशि का समुचित व त्वरित पुनर्भुगतान/चुकौती किया जाएगा और इस अनुबंध में उल्लेखित समस्त निबंधनों एवं शर्तों के ऋणकर्ता द्वारा समुचित निष्पादन तथा पालन की गारंटी प्रदान करता है। गारंटर सहमति प्रदान करता है कि कंपनी द्वारा ऋणकर्ता को किसी धनराशि के भुगतान हेतु समय या कोई अन्य रियायत दिए जाने या दृष्टिबंधित परिसंपत्ति पर कंपनी द्वारा अपने अधिकारों का प्रवर्तन करने में किसी विफलता, चूक या असमर्थता की स्थिति में, वह एतद्द्वारा प्रदान की गई गारंटी के दायित्व से मुक्त नहीं होगा। गारंटर सहमति प्रदान करता है कि कंपनी और उसके बीच, गारंटर ऋणकर्ता के साथ संयुक्त रूप से प्रधान ऋणी है और अतएव भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 133,134, 139 और 141 या उसके किसी अन्य प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त किन्हीं जमानती अधिकारों का परित्याग करता है। कंपनी को अपने विवेकानुसार ऋणकर्ता/गारंटर के विरूद्ध किसी क्रम में कार्यवाही करने का अधिकार है और एतद्द्वारा गारंटर सहमति देता है कि वह कंपनी द्वारा किए गए दावों को किसी भी आधार पर चुनौती नहीं देगा।

j) कंपनी किसी समय पर ऋणकर्ता से किसी तृतीय पक्ष से गारंटी(यों) सहित ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है जैसा अपने पूर्ण विवेकानुसार उसे उपयुक्त प्रतीत हो। ऐसी स्थिति में ऋणकर्ता अतिरिक्त प्रतिभूति उपलब्ध कराएगा और इस संबंध में ऐसे अनुबंध, वचनबंध, दस्तावेज़, मुखतारनामा (नामे) निष्पादित करेगा जो कंपनी द्वारा अपेक्षित हो सकते हों। ऋणकर्ता द्वारा कंपनी को इस अनुबंध के अंतर्गत समस्त बकाया और देय धनराशियां पूरी तरह से चुकता कर दिए जाने तक ऋणकर्ता अनुबंध को रद्द या ऐसी किसी संविदा, अनुबंध, वचनबंध, दस्तावेज़ इत्यादि को निरस्त नहीं करेगा और कंपनी से ऐसे अनुरोध की प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर ऋणकर्ता कंपनी के समक्ष यह प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है।

k) ऋणकर्ता तथा उसके साथ गारंटर सहमति देते और जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं कि दृष्टिबंधन, गारंटी या किसी अन्य प्रतिभूति के बावजूद वे इस अनुबंध के तहत कंपनी को देय समस्त धनराशियों के भुगतान हेतु व्यक्तिगत रूप से दायी रहेंगे, जो कंपनी हेतु उपलब्ध हो सकने वाले किन्हीं अन्य अधिकारों या उपचारों से पृथक उनके, उनकी जायदाद और संपत्तियों के विरूद्ध प्रवर्तित किए जा सकते हों।

l) उक्त के अतिरिक्त ऋणकर्ता किसी डिफॉल्ट की स्थिति में, बकाया भुगतान तथा उन समस्त या किन्हीं धनराशियों के निपटान के लिए जो ऋणकर्ता द्वारा कंपनी को देय हों या किसी समय पर देय हो सकती हों, अतिरिक्त प्रतिभूति उपलब्ध कराने और संपत्ति पर कंपनी के पक्ष में और उस स्वरूप और तरीके से जैसा कंपनी द्वारा अपेक्षित किया जा सकता हो, गिरवी/प्रभार सृजित करने के लिए सहमत हैं जो एतद्द्वारा इस अनुसूची में अधिक विशेष रूप से वर्णित हैं, जिसे कंपनी द्वारा अपने पक्ष में प्रथम तथा विशिष्ट प्रभार के रूप में धारित किया जाएगा।

m) ऋणकर्ता के एक कंपनी होने की स्थिति में, ऋणकर्ता तथा उसके साथ गारंटर सहमत हैं और जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं कि दृष्टिबंधन के बावजूद ऋणकर्ता, परिसंपत्ति पर प्रभार सृजित करने के लिए कंपनियों के रजिस्ट्रार के समक्ष फार्म सीएचजी-1 दाखिल करेंगे।

n) ऋणकर्ता तथा उसके साथ गारंटर सहमत हैं और जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं कि कंपनी से किए गए किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत ऋणकर्ता या गारंटर का कोई अन्य दायित्व होने की स्थिति में, अनुसूची में उल्लेखित परिसंपत्ति पर कंपनी का सतत प्रभार होगा। इसके अलावा, ऋणकर्ता और गारंटर इस पर भी सहमत हैं और जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं कि ऋणकर्ता या गारंटर द्वारा कंपनी के साथ किए सभी मौजूदा अनुबंधों पर, ऐसी अनुसूचित परिसंपत्तियों पर कंपनी का सतत प्रभार व कब्जा करने का अधिकार होगा।

o) इस अनुबंध के अनुच्छेद 10 के अंतर्गत यथानिर्दिष्ट किसी डिफॉल्ट की स्थिति में, या अनुबंध की किसी शर्त का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में किसी अन्य दस्तावेज़ में उल्लिखित कंपनी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना, प्रतिभूति प्रवर्तित करने तथा ऋणकर्ता द्वारा प्रस्तावित किसी प्रतिभूति के सापेक्ष ऋण समायोजित करने का कंपनी को पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त होगा जैसा इसके अनुसार उपयुक्त और उचित पाया जाए।

p) प्रतिभूति प्रवर्तन की स्थिति में कंपनी वसूली गई धनराशि में किसी हानि या कमी के प्रति दायी नहीं होगी या प्रतिभूति के मूल्य में किसी घटोत्तरी हेतु उत्तरदायी नहीं होगी। कंपनी द्वारा ऐसी बिक्री ऋणकर्ता के प्रति किसी जवाबदेही के बिना की जाएगी और कंपनी द्वारा अधिकारों के प्रयोग किए जाने/अधिकारों के प्रयोग न किए जाने के कारण प्रतिभूतियों के मूल्य में हानि/क्षति/अवमूल्यन के लिए कंपनी दायी नहीं होगी और इस आधार पर ऋणकर्ता कंपनी के विरूद्ध कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगा कि अधिक धनराशि या राशि प्राप्त की जा सकती थी या प्राप्त हो सकती है, या इस अनुबंध के अंतर्गत अवशेष देयकों हेतु अपनी देयता को विवादित नहीं कर सकेगा।

q) प्रतिभूति, या ऋणकर्ता के कब्जे में दृष्टिबंधित परिसंपत्ति के संदर्भ में कोई अभिवृद्धि, हकदारियां और समस्त दस्तावेज़ कंपनी के हितार्थ ऋणकर्ता द्वारा विश्वसनीय प्रकार से रखे जाएंगे।

9. किश्तों में परिवर्तन और पुनर्निर्धारण:

a) ऐसे नियमों एवं शर्तों के अनुसार जैसा उपयुक्त पाया जाए, ऐसी अग्रिम अवधियों के लिए सुविधा की समीक्षा करने का पूर्ण विवेकाधिकार कंपनी को प्राप्त है, जिसके लिए उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

b) कंपनी स्वयं या ऋणकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर, यदि ऐसा करना उपयुक्त पाया जाए, ऋणकर्ता की औपचारिक अनुमति प्राप्त करते हुए किश्तों को इस प्रकार व उस सीमा तक जैसा यह तय कर सकती हो, परिवर्तित या पुनर्निर्धारित कर सकती है, जिसके बाद ऋणकर्ता द्वारा पुनर्भुगतान/चुकौती उक्त परिवर्तन और पुनर्निर्धारण के अनुसार, इस अनुसूची में उल्लेखित अन्य समस्त बातों को अप्रभावित रखते हुए की जाएगी।

c) ऋणकर्ता के द्वारा ऋण पुनर्भुगतान/चुकौती के संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, कंपनी अपने पूर्ण विवेकानुसार एतद्द्वारा स्वीकृत ऋण के अलावा व इससे अधिक अतिरिक्त ऋण स्वीकृत कर सकती है। अतिरिक्त ऋण केवल ऐसे दस्तावेजों के निष्पादन पर ही दिया जा सकता है जैसा समय-समय पर कंपनी के प्रचलित क्रेडिट मापदंडों के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जा सकता हो। इस उपबंध के तहत ऋणकर्ता को अतिरिक्त ऋण का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

10. डिफॉल्ट की स्थितियां:

निम्न स्थितियां "डिफॉल्ट की स्थितियां" कहलाएंगी: -

a) ऋणकर्ता या गारंटर द्वारा दायित्व पूरे करने में विफल रहना, ऋण या किसी किश्त, शुल्क, प्रभार, या लागतों या यहां वर्णित अनुसार तथा कंपनी को देय कोई अन्य धनराशि जो जिस प्रकार और जब देय होती हो, जिसकी मांग कंपनी द्वारा की गई हो अथवा नहीं, का भुगतान नहीं करना; या

b) यदि कंपनी के विचार में, ऋणकर्ता द्वारा ऋण के संबंध में कोई महत्त्वपूर्ण जानकारी रोक ली गई हो; या

c) दिवालियापन, स्वैच्छिक या अन्य प्रकार से कार्य समापन (परिसमापन), व्यवसाय में विफलता, दिवालियापन की कार्यवाही, ऋणकर्ता/गारंटर के ऋणदाताओं के लाभार्थ सामान्य असाइनमेन्ट, या यदि ऋणकर्ता/गारंटर द्वारा किसी ऋणदाता का भुगतान निलंबित कर दिया गया हो या ऐसा करने की आशंका व्यक्त की गई हो, इसकी परिसंपत्तियों, इस अनुबंध के तहत अधिक विशेष रूप से दृष्टिबंधित परिसंपत्तियों पर रिसीवर/न्यासी या समान अधिकारी की नियुक्ति, ऋणकर्ता/गारंटर द्वारा या उनके विरूद्ध दिवालिया घोषित कराने हेतु कोई याचिका दायर किया जाना, या ऋणकर्ता/गारंटर के परिसमापन हेतु कोई याचिका दायर किया जाना, और स्वीकृत करने के पश्चात 30 दिनों के अंदर वापस न लिया जाना; या

d) यदि ऋणकर्ता/गारंटर (एक कंपनी होने के कारण), सिवाय कंपनी से पूर्व लिखित अनुमति के समामेलन या पुनर्गठन के प्रयोजन से परिसमापन कराता है; या

e) यदि ऋणकर्ता/गारंटर अपना कारोबार समाप्त करता या अपना कारोबार समाप्त करने की आशंका प्रकट करता है; या

f) यदि कंपनी द्वारा नियुक्त किसी लेखाकार या लेखाकारों की फर्म (जिसके लिए कंपनी को हकदारिता है और किसी भी समय ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है) द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाता है कि ऋणकर्ता की देयताएं ऋणकर्ता की परिसंपत्तियों से अधिक हैं या यह कि ऋणकर्ता घाटे में व्यवसाय कर रहा है; या

g) यदि कंपनी से पूर्व में स्पष्ट अनुमति लिए बिना ऋणकर्ता किसी भी भांति से जैसा भी हो, दृष्टिबंधित परिसंपत्ति को बेचता, भारग्रस्त करता, या हस्तांतरित करता या बेचने, हस्तांतरण करने का प्रयास करता है, ऋणभार सृजित करता है, गिरवी रखता है; या

h) यदि ऋणकर्ता दृष्टिबंधित परिसंपत्ति के लिए किसी बीमा प्रीमियम का भुगतान करने में विफल रहता है; या

i) दृष्टिबंधित परिसंपत्ति किसी प्राधिकारी द्वारा जब्त या सम्बद्ध की या अभिरक्षा में ले ली जाती है, या किसी अभियोजन कार्यवाही में सम्मिलित की जाती है; या

j) यदि ऋणकर्ता, दृष्टिबंधित परिसंपत्ति के संदर्भ में, समय-समय पर लागू कानूनों के अंतर्गत किसी कर, महसूल, शुल्क ड्यूटी (शुल्क) या अन्य अधिरोपण या प्रभारों/जावकों का भुगतान करने या दृष्टिबंधित परिसंपत्ति के संदर्भ में समय-समय पर लागू कानूनों के अंतर्गत पालन किए जाने हेतु अपेक्षित किसी अन्य कानून, विनियम, औपचारिकताओं की अनुपालना करने में विफल रहता है; या

k) दृष्टिबंधित परिसंपत्ति चोरी हो जाती है या किसी भी कारण से पता लगाने योग्य न रह जाती है; या

l) दृष्टिबंधित परिसंपत्ति किसी भांति कुर्क या संकटग्रस्त या क्षतिग्रस्त हो जाने या उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाने या परिसंपत्ति के साथ दुर्घटना होने के कारण किसी तृतीय पक्ष के लिए शारीरिक चोट का कारण बनने पर; या

m) यहां वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन, ऋणकर्ता द्वारा कंपनी को प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली कोई पीडीसी, प्रस्तुत किए जाने पर किसी भी कारण से आदरित/नकदीकृत न हो पाने पर; या

n) ऋणकर्ता द्वारा किसी भी कारण से किसी पीडीसी/ईसीएस आदेश के भुगतान रोक हेतु कोई अनुदेश दिए जाने पर या ऋणकर्ता द्वारा कंपनी को निर्गत कोई पश्च दिनांकित चैक/ईसीएस आदेश अनादरित होने पर; या

o) दृष्टिबंधित परिसंपत्ति के वाहन होने की स्थिति में उसके पंजीयन प्रमाणपत्र की एक प्रति ऋणकर्ता द्वारा कंपनी को उपलब्ध कराने में विफल रहने पर; या

p) इस अनुबंध में की गई व्यवस्था के अनुरूप ऋणकर्ता द्वारा परिसंपत्ति/उपकरण (पुराना और नया वाहन दोनों) के विवरण उपलब्ध कराने में विफल रहने पर; या

q) कोई ऐसी परिस्थिति या घटना उत्पन्न होने पर जो कंपनी, या ऋणकर्ता/गारंटर द्वारा प्रदत्त प्रतिभूति के किसी भाग के हितों के प्रतिकूल, बाधित, या आपद्ग्रस्त या जोखिमग्रस्त करने वाली हो या प्रतिकूल, बाधित, आपद्ग्रस्त, ह्रासित या जोखिमग्रस्त किया जाना संभावित हो; या

r) ऋणकर्ता/गारंटर द्वारा यहां वर्णित किन्हीं नियमों/निबंधनों, प्रसंविदाओं और शर्तों का कोई उल्लंघन किए जाने या इस अनुबंध या दाखिल किए गए किसी अन्य दस्तावेज़ में प्रदत्त कोई जानकारी या कोई अन्य वक्तव्य गलत, असत्य, या भ्रामक पाए जाने पर; या

s) ऋण प्रदान किए जाने के पश्चात ऋणकर्ता और/या गारंटर/रों (जहां पति/पत्नी हो) का तलाक हो जाने या इसके लिए या अन्य किसी प्रकार से किसी पारिवारिक न्यायालय में कोई कार्यवाही किए जाने या प्रारंभ किए जाने पर; या

t) ऋणकर्ता या किसी गारंटर (रों) की मृत्यु/पागलपन या अन्य अपंगता होने पर; या

u) कंपनी से पूर्व लिखित अनुमति के बिना संविधान, या ऋणकर्ता के प्रबंधन में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होने या ऋणकर्ता के प्रबंधन पर कंपनी का विश्वास कायम न रह जाने पर; या

v) ऋणकर्ता/गारंटर द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से किसी अन्य ऋण/सुविधा/किसी अनुबंध का उल्लंघन किए जाने पर; या

w) ऋणकर्ता/गारंटर द्वारा कंपनी से किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत कोई डिफॉल्ट किए जाने पर, जिसमें ऋणकर्ता/गारंटर स्वयं या तो ऋणकर्ता/या गारंटर हो; या

x) गारंटर/रों द्वारा प्रदान की गई गारंटी में किसी दोष/अशक्तता के कारण गारंटी निष्प्रभावी/निष्क्रिय हो जाने पर; या

y) यदि ऋणकर्ता द्वारा इस अनुबंध या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज़ के अंतर्गत उसके कोई दायित्व पूरे करना अवैधानिक करार दिया जाता है या गारंटर या किसी अन्य व्यक्ति (ऋणकर्ता सहित) द्वारा इस अनुबंध के अंतर्गत उनके कोई दायित्व पूरे करना असंवैधानिक करार दिया जाता है; या

z) यह अनुबंध या कोई अन्य संबंधित दस्तावेज़; चाहे गारंटर या किसी अन्य व्यक्ति (ऋणकर्ता सहित) द्वारा निष्पादित किया गया हो प्रभावी नहीं रह जाने या गैरकानूनी हो जाने या अमान्य घोषित कर दिए जाने पर, या

ऋणकर्ता या गारंटर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी कारण से अप्रभावी, गैरकानूनी, या अमान्य अभिकथित कर दिए जाने पर; या

aa) ऋणकर्ता/गारंटर द्वारा इस अनुबंध या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज़ से मुकर जाने या मुकरने के इरादे का साक्ष्य प्राप्त होने पर; या

bb) प्राकृतिक आपदाएं/दैवी कारण से होने वाली घटनाएं होने की स्थिति में, जिनसे परिसंपत्ति के मूल्य में ह्रास हुआ हो (जिस बारे में निर्णय करने का कंपनी को पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त है); या

cc) ऋण या इसका कोई भाग उस प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन से उपयोग किए जाने पर, जिसके लिए ऋणकर्ता द्वारा इसका आवेदन और कंपनी द्वारा स्वीकृत किया गया हो; या

dd) कोई ऐसी घटना या घटनाक्रम होने पर जिसके बारे में कंपनी की यह राय हो कि वह ऋणकर्ता की पुनर्भुगतान/चुकौती क्षमता को वास्तव में विपरीत प्रभावित कर सकती है; या ee) ऋणकर्ता/गारंटर का दर्जा निवासी से बदलकर अनिवासी हो जाने पर; या

ff) ऋणकर्ता/गारंटर, या किसी दृष्टिबंधित परिसंपत्ति/यों के विरूद्ध कोई सम्बद्धता, आपात बिक्री, निष्पादन या अन्य कोई प्रक्रिया प्रवर्तित किए जाने या आरोपित किए जाने पर; या

gg) यदि ऋणकर्ता या गारंटर को किसी अपराध के लिए किसी विधिक न्यायालय या सरकारी प्राधिकारी द्वारा आरोपित या अभियोजित किया गया हो; या

hh) ऋणकर्ता/गारंटर द्वारा इस (अनुबंध), या कंपनी या इसके किसी सम्बद्धों से किए गए किसी अन्य अनुबंध की किसी शर्त को चुनौती दिए जाने (विवादित करने) पर; या

ii) यदि डिफॉल्ट की कोई घटना होती है या कोई घटना जो संज्ञान में आने या समय व्यतीत हो जाने या दोनों होने पर डिफॉल्ट की घटना हुई मानी जाती है तो ऋणकर्ता उसके बारे में अविलंब

कंपनी को लिखित में सूचित करते हुए डिफॉल्ट की ऐसी घटना के होने को स्पष्ट करेगा। ऋणकर्ता/गारंटर तब भी कंपनी को त्वरित सूचित करेगा यदि और जब कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य कानून के प्रावधानों या किसी वाद या कानूनी प्रक्रिया जो जो ऋणकर्ता/गारंटर के विरूद्ध दायर/प्रारंभ की जानी हो, के अंतर्गत कार्यसमापन का कोई विधिक नोटिस ऋणकर्ता/गारंटर को प्राप्त होता है; या

उक्त घटनाओं/परिस्थितियों के घटित होने के प्रश्न के संबंध में कंपनी का निर्णय अंतिम, निर्णायक, और ऋणकर्ता/गारंटर पर बाध्यकारी होगा; या

11. पुनःकब्जा, समाप्ति और कंपनी के अन्य अधिकार:

a) अनुच्छेद 10 में निहित उक्त किसी डिफॉल्ट की घटना घटित होने की स्थिति में, परिसंपत्ति पर ऋणकर्ता के अधिकार बिना किसी नोटिस के स्वतः ही रद्द माने जाएंगे और

ऋणकर्ता परिसंपत्ति को उसी दशा में समस्त एसेसरीज/ऋणकर्ता द्वारा किए गए परिवर्धनों जो भी हों, अविलंब कंपनी को वापस प्रदान करने के लिए बाध्य होगा जिस दशा में उसके द्वारा यह मूलरूप में प्राप्त की गई थी, सामान्य टूट-फूट स्वीकार्य है और यदि परिसंपत्ति एक वाहन है, तो कंपनी को परिसंपत्ति के साथ ही कानूनों और/या उनके अंतर्गत स्थापित नियमों में यथानिर्दिष्ट लागू फार्मों सहित पंजीयन का मूल प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा। ऋणकर्ता द्वारा परिसंपत्ति समर्पण करने में विफलता या मनाही, गैरकानूनी धारण मानी जाएगी और कंपनी को उपलब्ध अन्य अधिकारों/कानूनी उपचारों को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना कंपनी कानूनी कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए अधिकारी होगी।

i) नोटिस: पुनर्भुगतान/चुकौती में किसी डिफॉल्ट की स्थिति में, जिनमें डिफॉल्ट की उक्त में से कोई घटनाएं घटित होना शामिल है और/या एतद्द्वारा उक्तानुसार यथावर्णित परिसंपत्ति को समर्पण करने में विफलता की स्थिति में, कंपनी में ऋणकर्ता को कंपनी में उसके पंजीकृत पते पर 7 दिनों का एक नोटिस जारी करेगी। प्रेषण के पश्चात 24 घंटे के अंदर यह नोटिस ऋणकर्ता को प्राप्त कराया माना जाएगा चाहे इस प्रकार प्रेषित किया गया नोटिस किसी भी कारण से बिना प्राप्त कराए वापस लौट आता है और कंपनी के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऋणकर्ता को नोटिस प्रेषण की पुष्टि इस संबंध में अंतिम और बाध्यकारी होगी।

ii) पुनः कब्जा: ऋणकर्ता द्वारा देयकों के भुगतान करने या कंपनी को परिसंपत्ति समर्पण करने और/या उक्त वर्णित नोटिस की अनुपालना में संविदा शर्तों के उल्लंघन को कंपनी की संतुष्टि के अनुसार परिशोधित करने में विफल रहने पर, अनुबंध के अंतर्गत उपलब्ध इसके अन्य अधिकारों को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना कंपनी परिसंपत्ति को अपने कब्जे में लेने, और उक्त प्रयोजन से किसी स्थान या स्थानों पर प्रवेश करने जहां परिसंपत्ति हो सकती हो या होनी संभावित हो, हटाने या उसका कब्जा ("पुनः कब्जा" कहा गया है} प्राप्त करने की अधिकारी हो सकती है। ऋणकर्ता सहमत है और यह जिम्मेदारी स्वीकार करता है कि वह ऋणकर्ता द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में परिसंपत्ति पर पुनः कब्जा करने के कंपनी के अधिकार का प्रयोग करने में रूकावट या अवरोध नहीं करेगा। कंपनी द्वारा पुनः कब्जा के समय परिसंपत्ति में मौजूद कोई सामान (खराब होने वाला, न खराब होने वाला) हटाने की पूरी जिम्मेदारी ऋणकर्ता की होगी और ऋणकर्ता उक्त परिसंपत्ति से ऐसा सामान हटाने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करेगा और उसे अपने खर्चे पर वापस परिवहन करेगा और किसी क्षति, मूल्यह्रास, पारगमन में नुकसान इत्यादि या ऐसे पुनः कब्जा के दौरान या इसके बाद किसी को माल डिलीवर न किए जाने के कारण होने वाली किसी क्षति के लिए कंपनी ऋणकर्ता के प्रति जिम्मेदार नहीं होगी।

iii) पुनः कब्जा के पश्चात: परिसंपत्ति का कब्जा लेने के बाद डिफॉल्ट परिशोधित करने के अंतिम मौके के रूप में, समापन मूल्य (जिसमें कानूनी व्ययों सहित परिसंपत्ति का कब्जा लेने के लिए वहन किए गए प्रभार और व्यय शामिल होंगे) का भुगतान करने के लिए कंपनी द्वारा ऋणकर्ता को 7 दिनों का नोटिस जारी किया जाएगा। प्रेषण के पश्चात 24 घंटे के अंदर यह नोटिस ऋणकर्ता को प्राप्त कराया माना जाएगा चाहे इस प्रकार प्रेषित किया गया नोटिस किसी भी कारण से बिना प्राप्त कराए वापस लौट आता है और कंपनी के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऋणकर्ता को नोटिस प्रेषण की पुष्टि इस संबंध में अंतिम और बाध्यकारी होगी।

iv) नोटिस का अधित्याग: यहां उल्लेखित उक्त नोटिस (परिसंपत्ति का कब्जा लेने से पूर्व व पश्चात) कंपनी के विवेकानुसार अधित्याग किया जा सकता है यदि कंपनी की राय में ऐसी कार्यवाही से परिसंपत्ति या कंपनी के हितों के जोखिमग्रस्त होने की संभावना हो।

v) उल्लेखित नोटिस में निर्दिष्ट समय पर तथा प्रकार से समापन मूल्य का भुगतान किए जाने पर, कंपनी पुनः कब्जे में ली गई परिसंपत्ति ऋणकर्ता को या उसके ऐसे अधिकृत प्रतिनिधि को वापस लौटा देगी जिसके बारे में ऋणकर्ता द्वारा लिखित में निर्दिष्ट किया गया हो। उल्लेखित नोटिस में निर्दिष्ट समय पर तथा प्रकार से समापन मूल्य का भुगतान किए जाने में ऋणकर्ता द्वारा विफल रहने पर, कंपनी परिसंपत्ति को उस तरीके से विक्रय, निस्तारित करेगी जैसा इसके द्वारा उपयुक्त पाया जाए और इस संबंध में ऋणकर्ता के विरूद्ध इसे उपलब्ध किसी अन्य कानूनी उपचार या अधिकार का प्रयोग करने से पृथक, ऋणकर्ता को कोई अन्य नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।

vi) ऋणकर्ता एतद्द्वारा न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, कंपनी को निजी संधि या सार्वजनिक नीलामी या ऐसे किसी अन्य प्रकार से जैसा कंपनी द्वारा उपयुक्त पाया जा सकता हो, परिसंपत्ति विक्रय/हस्तांतरित/आवंटित करने के लिए अपरिवर्तनीय प्राधिकार देता है। ऋणकर्ता, कंपनी द्वारा विक्रय और/या कार्यवाही की वैधानिकता के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं होगा न ही कंपनी ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग, और/या कंपनी द्वारा उक्त प्रयोजन से नियुक्त किसी मध्यस्थ या बोलीदाता या अन्य व्यक्ति या निकाय की ओर से हो सकने वाली किसी चूक (डिफॉल्ट) के कारण हो सकने वाली किसी हानि के लिए उत्तरदायी होगी।

vii) ऋणकर्ता अविलंब कंपनी को समस्त मूल प्रमाणपत्र (जहां परिसंपत्ति एक वाहन है), चाबियां, तथा परिसंपत्ति से संबंधित अन्य समस्त दस्तावेज़ वापस कर देगा। ऋणकर्ता द्वारा ऐसा करने में विफल रहने पर कंपनी, संबंधित प्राधिकारियों के यहां तुरंत आवेदन करने तथा नए दस्तावेज़ प्राप्त करने की अधिकारी होगी, जिसका व्यय ऋणकर्ता के खाते से वसूल किया जाएगा और इस अनुबंध के निर्धारण में देय

धनराशि का अंश होगा। ऋणकर्ता सहमत है और जिम्मेदारी स्वीकार करता है कि वह कंपनी द्वारा ऐसे आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं उठाएगा।

viii) परिसंपत्ति के विक्रय और विक्रय से प्राप्त राशि को ऋण देयकों (जिसमें समापन मूल्य के अतिरिक्त पार्किंग, परिसंपत्ति के विक्रय हेतु वहन किए गए व्यय/प्रभार सम्मिलित हैं) के सापेक्ष समायोजित करने के पश्चात यदि कोई धनराशि बकाया और देय रह जाती है तो वह ऋणकर्ता और/या गारंटर द्वारा चुकता की जाएगी। यदि ऐसे समायोजन के पश्चात कोई अधिशेष धनराशि बचती है, तो कंपनी धारणाधिकार के अधिकार और ऋणकर्ता और गारंटर के सापेक्ष समायोजन के विषयाधीन, शेषराशि यदि कोई हो, वह ऋणकर्ता को वापस कर देगी।

b) समाप्ति:

परिसंपत्ति को ऋणकर्ता द्वारा समर्पण किए जाने या उस पर कंपनी द्वारा पुनः कब्जा लिए जाने पर, इस अनुसूची में निर्दिष्ट ऋण अवधि के बावजूद, अनुबंध बिना किसी नोटिस के समाप्त हो जाएगा।

उक्त और/या इस अनुबंध में निहित किसी शर्त पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना, समाप्ति पर यह अनुबंध समाप्त माना जा सकता है:

i) अनुबंध में निर्दिष्ट ऋण अवधि समाप्ति पर समय समाप्त हो जाने के द्वारा; या

ii) इसके पूर्व कंपनी द्वारा ऋणकर्ता और गारंटर को ऐसा करने के अपने निर्णय के बारे में एक लिखित नोटिस देकर।
ऐसी समाप्ति पर, कंपनी के पास परिसंपत्ति का पुनः कब्जा करने की शक्तियां रहेंगी यदि डिफॉल्ट की कोई घटना हुई हो।
उक्तानुसार किसी भांति समाप्ति पर:

iii) ऋणकर्ता और गारंटर इसके पश्चात शेष देय धनराशियों के किश्तों में भुगतान के लाभ हेतु पात्र नहीं रहेंगे जो किश्तों में, अतिरिक्त ब्याज या किसी अन्य खाते पर जैसा भी हो, पहले से बकाया धनराशि सहित तत्काल देय होगी।

iv) ऋणकर्ता, समापन मूल्य पर, अनुसूची में उल्लेखित दर पर अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करने हेतु दायी होगा जो समाप्ति तिथि से पूर्ण भुगतान प्राप्त कराए जाने की तिथि तक आगणित किया जाएगा।

c) कंपनी के अन्य अधिकार:

i) पक्षों के बीच यह विशेषरूप से सहमति की गई है कि किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत कंपनी के साथ ऋणकर्ता और/या गारंटर, जैसा भी मामला हो सकता हो, द्वारा सृजित प्रभार, उक्त अनुबंध के अंतर्गत सभी देयकों के भुगतान कर दिए जाने के बावजूद जारी रहेंगे और अनुबंध पूर्ण हो जाने पर भी कंपनी को इस अनुबंध के अंतर्गत बकाया देयकों की प्राप्ति हेतु ऋणकर्ता/गारंटर से किसी अन्य अनुबंध के मद्देनज़र, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) रोकने और परिसंपत्तियों को पुनः कब्जे में लेने तथा विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

ii) इस अनुबंध या इससे संबंधित अनुबंध के अंतर्गत दृष्टिबंधित परिसंपत्ति के विक्रय या इस अनुबंध के अनुपालन में ऋणकर्ता/गारंटर द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी अन्य प्रतिभूति के प्रवर्तन की स्थिति में, बिक्री से प्राप्त राशि में किसी हानि या कमी हेतु कंपनी दायी नहीं होगी या परिसंपत्ति/प्रतिभूति के मूल्य में किसी कमी हेतु उत्तरदायी नहीं होगी। कंपनी द्वारा ऐसी बिक्री, ऋणकर्ता और गारंटर के प्रति किसी जवाबदेही के बिना की जाएगी और कंपनी के अधिकारों के प्रयोग या प्रयोग न किए जाने के कारण परिसंपत्ति के मूल्य में किसी हानि/क्षति/अवमूल्यन के लिए कंपनी दायी नहीं होगी और ऋणकर्ता/गारंटर इस आधार पर कंपनी के विरूद्ध कोई दावा नहीं कर सकेगा कि अधिक बड़ी धनराशि प्राप्त की जा सकती थी या प्राप्त की जानी चाहिए थी या इस अनुबंध के अंतर्गत अवशेष देयकों हेतु अपनी देयता को विवादित नहीं कर सकेगा।

iii) बकायावसूली के लिए कोई कानूनी कार्यवाही शुरू किए जाने के कंपनी के अधिकारों को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना ऋणकर्ता और गारंटर स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि कंपनी तृतीय पक्षों को नियुक्त करने की अधिकारी है जैसा इसके द्वारा उपयुक्त पाया जाए और ऐसे तृतीय पक्ष ऋणकर्ता की पूर्व सहमति के बिना इस अनुबंध के अंतर्गत इसके समस्त या किन्हीं कार्यों, अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें ऋणकर्ता से बकायों की वसूली किए जाने का प्राधिकार भी सम्मिलित है।

iv) इस पर स्पष्ट रूप से सहमति है और समझ लिया गया है कि किसी डिफॉल्ट की स्थिति में परिसंपत्ति का पुनः कब्जा और/या बिक्री, इस अनुबंध के अंतर्गत किसी देय धनराशि हेतु कंपनी द्वारा ऋणकर्ता और/या गारंटर के विरूद्ध निजी रूप से दावा प्रवर्तित करने के लिए पूर्वस्थापित शर्त नहीं है।

v) कंपनी द्वारा परिसंपत्ति को पुनः कब्जे में लेने में कोई अक्षमता, विफलता या चूक, किसी भी समय अपने निर्णयानुसार इस अनुबंध को समाप्त करने के कंपनी के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी, न ही डिफॉल्ट की माफी या अधित्याग मानी जाएगी या इस अनुबंध के अंतर्गत समस्त धनराशियों की ऋणकर्ता और या गारंटर से निजी रूप से वसूली करने के इसके अधिकार को प्रभावित करेगी।

vi) इस अनुबंध में अन्यत्र उल्लेखित समस्त (विवरण) से पृथक, ऐसी समाप्ति के पश्चात ऋण का सांतत्य कंपनी के एकल व पूर्ण विवेकाधिकार पर निर्भर होगा और ऋणकर्ता पर बकाया, उस प्रकार कंपनी को देय होगा जैसा कंपनी द्वारा उपयुक्त समय पर निश्चित किया जाए। कंपनी किसी समय पर, अपने पूर्ण विवेकानुसार, और बिना कारण बताए जो भी हो, ऋणकर्ता पर बकाया राशि की चुकौती करने के लिए ऋणकर्ता से कह सकती है और ऐसा करने पर ऋणकर्ता तत्काल, इस प्रकार कहे जाने पर तुरंत ही वह पूरी धनराशि जो ऋणकर्ता पर बकाया है, बिना किसी विलंब के चुकता करेगा। ऋणकर्ता द्वारा देय के रूप में उल्लेखित देयकों की धनराशि अंतिम तथा ऋणकर्ता पर बाध्यकारी होगी।

12. विनियोजन:

a) कंपनी को ऋण अनुबंध के अंतर्गत किसी बकाया और देय तथा ऋणकर्ता द्वारा देयकों के सापेक्ष किए गए किसी भुगतान को उस क्रम में विनियोजित करने का अधिकार होगा, जैसा कंपनी द्वारा उपयुक्त पाया जाए।

निम्न के लिए:

i) देय मूलधन का पुनर्भुगतान/चुकौती

ii) ब्याज, अतिरिक्त ब्याज सहित, यदि
कोई हो

iii) दण्डात्मक ब्याज, यदि कोई हो

iv) लागतों, प्रभारों, व्ययों और अन्य धनराशियों पर ब्याज।

v) समयपूर्व संवरण (समापन) पर प्रीमियम।

vi) लागतें, प्रभार, व्यय तथा अन्य धनराशियां।

इस बारे में पक्षों के बीच विशेषरूप से सहमति है कि यदि ऋणकर्ता/गारंटर ने इस अनुबंध के अतिरिक्त अपने/उनके नाम से या अपने/उनके साझेदारों, रिश्तेदारों, नामितों या प्रतिनिधियों के माध्यम से, कंपनी के साथ कोई अन्य ऋण/किराया खरीद/पट्टा या अन्य अनुबंध/किया है या भविष्य में करता है जिसमें ऋणकर्ता/किराएदार/पट्टेदार या गारंटर के रूप में हो तो:

b) ऋणकर्ता/गारंटर या उसके रिश्तेदारों, साझेदारों, नामितों, प्रतिनिधियों, जैसा भी मामला हो द्वारा इस अनुबंध के अंतर्गत किया गया कोई भुगतान केवल एक "खाते में भुगतान" माना जाएगा और कोई विशिष्ट विपरीत अनुदेशों के बावजूद कंपनी द्वारा इसे अपने विवेकानुसार ऋणकर्ता, उसके/उनके रिश्तेदारों, साझेदारों, नामितों, या प्रतिनिधियों द्वारा कंपनी के साथ किए गए किसी अनुबंध के खाते में, अनुबंध के कार्यकाल में या इसके पश्चात, जैसा कंपनी द्वारा उपयुक्त समझा जाए, विनियोजित किया जाएगा।

c) ऋणकर्ता या उसके/उनके रिश्तेदारों, साझेदारों, नामितों, या प्रतिनिधियों द्वारा कंपनी के साथ किए गए किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत, ऐसे अनुबंध/धों के अंतर्गत कंपनी के अन्य निहित अधिकारों को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना, बकाया देयकों की प्राप्ति के लिए कंपनी को अनुसूची में उल्लेखित परिसंपत्ति अपने कब्जे में लेने/विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी, चाहे इस अनुबंध के अंतर्गत समस्त देय और बकाया धनराशियों का भुगतान किया जा चुका हो और निपटान हो चुका हो।

d) किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत कंपनी के साथ ऋणकर्ता और/या गारंटर, जैसा भी मामला हो सकता हो, द्वारा सृजित प्रभार, जारी रहेंगे और अनुबंध पूर्ण हो जाने पर भी कंपनी को इस अनुबंध के अंतर्गत बकाया देयकों की प्राप्ति हेतु ऋणकर्ता/गारंटर से किसी अन्य अनुबंध के मद्देनज़र, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) रोकने और परिसंपत्तियों को पुनः कब्जे में लेने तथा विक्रय करने की स्वतंत्रता होगी।

e) यहां उल्लेखित कंपनी के अधिकारों को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना, ऋणकर्ता/गारंटर एतद्द्वारा सहमत हैं और सम्मति प्रदान करते हैं कि इस अनुबंध के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई प्रतिभूति, कंपनी के साथ किए गए किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत समस्त बकाया कर्जों, यदि कोई हों, के सापेक्ष भी एक सतत प्रतिभूति के रूप में प्रभावी रहेगी और इस अनुबंध के अंतर्गत डिफॉल्ट की कोई घटना न होने के बावजूद, किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत ऋणकर्ता/गारंटर पर समस्त बकाया राशियों के निपटान के लिए कंपनी को इस अनुबंध के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई प्रतिभूति को तरलीकृत (नकदीकृत) करने और विनियाजित करने का पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त होगा।

13. ऋणकर्ताओं और गारंटर की प्रसंविदाएं और अभिवेदन:

ऋणकर्ता और गारंटर, कंपनी के समक्ष एतद्द्वारा निम्नानुसार पुष्टि तथा घोषित करते हैं कि:

a) कि ऋणकर्ता और गारंटर साधारण निवासी भारतीय नागरिक हैं और इस ऋण की अवधि के दौरान इसी स्थिति में बने रहेंगे।

b) इस अनुबंध में सम्मिलित होने तथा इसे निष्पादित करने के लिए ऋणकर्ता/गारंटर की पर्याप्त विधिक क्षमता है। ऋणकर्ता/गारंटर को किसी कानून, संविधि, न्यायिक निर्णय, डिक्री, व्यवस्था, संविदा या अन्य प्रकार से किसी भांति इस अनुबंध में स्थापित प्रकार से दायित्व निष्पादित करने व उनकी जिम्मेदारी स्वीकार करने से निषिद्ध या रोका नहीं गया है। निष्पादन पर, यह अनुबंध, ऋणकर्ता/गारंटर का वैध और कानूनी बाध्यकारी प्रतिबद्धता होगा जो इस अनुबंध के कार्यकाल में उसके विरूद्ध प्रवर्तनीय होगा। ऋणकर्ता/गारंटर (एक कंपनी/सीमित देयता साझेदारी फर्म/अन्य निगमित निकाय होने की स्थिति में) भारतीय कानून के अंतर्गत समुचित संगठित तथा अस्तित्व में है तथा यह अनुबंध करने के लिए समुचित शक्ति तथा प्राधिकार प्राप्त है जिसमें वह एक पक्ष है और उनके प्रतिनिधि भी समुचित प्राधिकृत हैं।

c) इस अनुबंध का निष्पादन, किसी कानूनी/संवैधानिक दस्ता◌ावेज़ों या किसी अन्य दस्तावेज़ जो ऋणकर्ता/गारंटर पर बाध्यकारी हो, के प्रतिकूल नहीं होगा।

d) अनुसूची में उल्लेखित परिसंपत्ति पर किसी प्रकार का कोई ऋणभार या कोई धारणाधिकार मौजूद नहीं है।

e) ऋणकर्ता/गारंटर ने इस अनुबंध, संपार्श्विक दस्तावेज़ों, तथा दृष्टिबंधित परिसंपत्ति के संबंध में समस्त अपेक्षित प्राधिकार, अनुमोदन, सहमतियां, अनुज्ञप्तियां, और अनुमतियां प्राप्त कर ली हैं और इन्हें पूर्ण प्रभावी व प्रवर्तनीय बनाने के लिए समस्त अनिवार्य कार्यवाही कर ली है।

f) कि कंपनी, या कंपनी के किसी अन्य अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भेजे जाने वाले समस्त खाता विवरण ऋणकर्ता और गारंटर को स्वीकार्य होंगे और ऋणकर्ता पर किसी बकाया दावा धनराशि की सत्यता का निर्णायक साक्ष्य होंगे।

g) कि कोई नोटिस या पत्राचार, ऋणकर्ता/गारंटर द्वारा दिए गए पते पर किया जाएगा और इसे प्रेषण के पश्चात 3 दिनों के अंदर प्राप्तकर्ता को प्राप्त हुआ माना जाएगा और ऋणकर्ता और गारंटर के पते में किसी परिवर्तन की स्थिति में, उन्हें कंपनी को इस बारे में अविलंब सूचित करना होगा जिसमें विफल रहने पर उनके द्वारा दिए गए अंतिम पते पर प्रेषित नोटिस या पत्र उनको प्राप्त कराया गया माना जाएगा।

h) कि कंपनी अनुबंध के अंतर्गत, ऋणकर्ता/गारंटर को कोई नोटिस दिए बिना, कंपनी के अधिकार और दायित्व कंपनी की पसंद के किसी व्यक्ति(यों) को पूर्ण या आंशिक रूप से तथा इस प्रकार व ऐसी शर्तों पर जैसा कंपनी निश्चय कर सकती हो, विक्रय, आवंटित या हस्तांतरित करने की अधिकारी होगी और यह कि ऐसा विक्रय, आवंटन, या हस्तांतरण, ऋणकर्ता/गारंटर पर बाध्यकारी होगा और यह कि वे इस अनुबंध के लाभ या दायित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आवंटित करने के अधिकारी नहीं होंगे।

i) कि ऋणकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की अनुपस्थिति या ऋण शक्तियों की अशक्तता या उनके प्रयोग में कोई अनियमितता, ऐसी अनुपस्थिति, अशक्तता या अनियमितता के बावजूद इस अनुबंध के अंतर्गत ऋणकर्ता और गारंटर के विरूद्ध कंपनी के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।

j) ऋणकर्ता/गारंटर ने उसके द्वारा देय समस्त बकाया कर और विधिक देयकों के भुगतान कर दिए हैं और किसी व्यक्ति या प्राधिकारी की ओर से कोई मांग, दावा या नोटिस प्राप्त नहीं किया है। इसके अलावा, ऋणकर्ता लेनदेन तथा दृष्टिबंधित परिसंपत्ति के संदर्भ में सरकार, पालिका निगम, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को समस्त वर्तमान तथा भावी करों, मूल्यांकनों, दरों, ड्यूटी, प्रभारों तथा अन्य महसूलों, जावकों और दायित्वों को वहन और भुगतान करेगा और कभी भी मांगे जाने पर उनकी भुगतान रसीदें प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, किन्हीं दरों, प्रभारों, महसूल, लेवी, और/या धनराशियों जैसा भी हो, जो हों या किश्तों पर या एतद्द्वारा अंतरण/सौदे (लेनदेन) पर सरकार द्वारा लगाई गई हों या लगाई जा सकती हों या जो इस अनुबंध में सम्मिलित होने के कारण कंपनी द्वारा देय हो सकती हों, के अनुसार मासिक किश्तों में स्वतः वृद्धि होगी।

k) ऋणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा, जहां परिसंपत्ति एक वाहन है, कि इसे मोटर वाहन अधिनियम या उसके अंतर्गत स्थापित नियमों तथा देश में लागू कानूनों के अनुरूप ही उपयोग किया जाएगा।

l) यह आश्वस्ति देता है कि ऋणकर्ता/गारंटर के विरूद्ध किसी भी प्रकार के कोई वाद, कार्यवाही या दावा जो भी हो/हैं, लंबित नहीं हैं या दाखिल किए गए या किए जाने वाले नहीं हैं।

m) यह आश्वस्ति देता है कि कंपनी कराधान या किसी अन्य मामले से संबंधित किसी कानून के संबंध में ऋणकर्ताओं/ गारंटरों के अधिकारों या स्थिति के बारे में किसी दावे के प्रति कंपनी का कोई दायित्व नहीं होगा।

n) समस्त ऋण का उपयोग केवल इस अनुसूची में उल्लेखित परिसंपत्ति को खरीदने के प्रयोजन से, या पुनर्वित्तीयन के मामले में ऋणकर्ता द्वारा प्रकटित प्रकार से ही उपयोग किया जाएगा और उसका उपयोग सट्टे, जिसमें पूंजी बाज़ार में निवेश भी शामिल है, या रियल एस्टेट/असामाजिक/गैरकानूनी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा।

o) ऋणकर्ता कंपनी को कोई चैक प्रस्तुत करने से मना करने और/या "भुगतान रोक" अनुदेशों के रूप में बैंक को कोई भुगतान अनुदेश प्रदान करने या किसी भी कारण से जैसा भी हो, अधिकारी नहीं होगा और यदि ऋणकर्ता ऐसा करता है, तो कंपनी उसके बावजूद चैक(कें) प्रस्तुत करने और/या भुगतान हेतु कंपनी को दिए किन्हीं अनुदेशों पर कार्यवाही करने के लिए अधिकारी होगी।

p) अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से कोई धनराशि उधार प्राप्त करने से पूर्व कंपनी से लिखित अनुमति प्राप्त करेगा।

q) परिसंपत्ति के एक वाहन होने की स्थिति में, उसे अपने नाम से, मोटर वाहन अधिनियम 1988 यथासंशोधित तथा समय-समय पर प्रवर्तित के प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट समयसीमा के अंदर पंजीकृत कराएगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि कंपनी के पक्ष में वाहन को दृष्टिबंधित (बंधक) किया जाना समुचित पृष्ठांकित और दर्ज किया जाए और उसकी एक प्रति कंपनी को अविलंब उपलब्ध कराएगा।

r) निर्माता या डीलर से परिसंपत्ति की सुपुर्दगी लेने के लिए तथा उसकी फिटनेस, गुणवत्ता, दशा इत्यादि का सत्यापन करने के लिए पूर्णतया स्वयं जिम्मेदार होगा और परिसंपत्ति की डिलीवरी लेने के बाद तत्काल कंपनी को इससे अवगत कराएगा।

s) पंजीयन प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति के लिए आवेदन नहीं करेगा, अन्यथा वाहन(नों) पर कंपनी का प्रभार पृष्ठांकित करने के लिए उसका आवेदन कंपनी को प्रदान करेगा।

t) यदि अनुबंध के निष्पादन के समय परिसंपत्ति सुपुर्द (डिलीवर) नहीं की जाती है या यदि वाहन ऋणकर्ता के नाम पंजीकृत नहीं कराया जाता है तो दृष्टिबंधित परिसंपत्ति के विवरण जो उस समय उपलब्ध न हो, ऐसी सुपुर्दगी/पंजीयन जैसी भी स्थिति हो, होने के बाद एक सप्ताह के अंदर ऋणकर्ता द्वारा लिखित में कंपनी को अवगत कराया जाएगा।

u) परिसंपत्ति/वाहन की सुपुर्दगी लेने के पश्चात एक माह के अंदर, यदि लागू हो, मूल बीजक (इनवाइस) और पंजीयन प्रमाणपत्र और बीमा पॉलिसी की प्रति दाखिल करके सुनिश्चित करेगा कि उसमें कंपनी के पक्ष में दृष्टिबंधन समुचित पृष्ठांकित किया गया है। यदि ऋणकर्ता उक्तानुसार दस्तावेज़ दाखिल करने में विफल रहता है तो उनके समुचित रूप में दाखिल किए जाने तक ऋणकर्ता को इस अनुसूची में यथानिर्दिष्ट दण्डात्मक प्रभार का भुगतान करना होगा और यह इसमें निहित कंपनी के अन्य अधिकारों को प्रतिकूल प्रभावित नहीं करेगा।

v) समस्त कानूनों, विनियमों और नियमों की समुचित और समयबद्ध तरीके से अनुपालना करेगा और परिसंपत्ति के संबंध में आरोपित या आरोपित किए जाने योग्य समस्त प्रभारों के भुगतान करेगा। दृष्टिबंधित परिसंपत्ति के उपयोग, प्रचालन और अनुरक्षण तथा उससे उत्पन्न होने वाली किन्हीं देयताओं के लिए ऋणकर्ता ही पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा।

w) बीमा पॉलिसी तथा उसके अनुवर्ती नवीनीकरण प्रमाणपत्रों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां कंपनी में जमा करना सुनिश्चित करेगा। ऋणकर्ता ऐसी प्रत्येक पॉलिसी कंपनी को आवंटित/पृष्ठांकित करेगा और ऋणकर्ता द्वारा प्राप्त किसी पॉलिसी की समस्त राशियां कंपनी को भुगतान करेगा।

x) परिसंपत्ति के बीमे के प्रीमियम का त्वरित भुगतान करेगा और पावती की प्रतियां कंपनी को उपलब्ध कराएगा। ऋणकर्ता द्वारा बीमा का भुगतान न किए जाने की स्थिति में, कंपनी को उसका भुगतान करने और उसकी प्रतिपूर्ति ऋणकर्ता से प्राप्त करने का अधिकार होगा। यदि ऋणकर्ता, नोटिस प्राप्तगी के तीन दिनों के अंदर धनराशि की प्रतिपूर्ति नहीं करता है तो वह कंपनी के प्रति अन्य देयकों के साथ, अनुसूची में यथानिर्दिष्ट ब्याज सहित बकाया और देय हो जाएगी।

y) दृष्टिबंधित परिसंपत्ति को हुए किसी नुकसान या क्षति के बारे में कंपनी को लिखित में तुरंत सूचित करेगा और उसके लिए बीमाकर्ता के समक्ष आवश्यक दावे पेश करेगा, बशर्तेऐसी हानि या क्षति से ऋणकर्ता या गारंटर का दायित्व मोचन न होता हो चाहे बीमाकर्ता द्वारा दावा दाखिल किया जाए अथवा नहीं।

z) दृष्टिबंधित परिसंपत्ति का उपयोग किसी अनुचित या अवैधानिक गतिविधियों के लिए नहीं करेगा या परिसंपत्ति को किसी ऐसे कृत्य हेतु अनुकूलित या परिवर्तित नहीं करेगा जो अनुचित या अवैधानिक या गैरकानूनी हो।

aa) ऋण बकाया रहने की अवधि के दौरान, परिसंपत्ति का रखरखाव करते हुए चालू व अच्छी दशा में रखेगा और उसमें समस्त अनिवार्य मरम्मतें, परिवर्धन और सुधार कराएगा। परिसंपत्ति/वाहन की अवस्थिति (लोकेशन) के बारे में सदैव कंपनी को सूचित रखेगा। कंपनी से पूर्व लिखित अनुमति लिए बिना ऋणकर्ता परिसंपत्ति/वाहन को उक्त लोकेशन से नहीं हटाएगा न हटाने की अनुमति देगा या परिसंपत्ति वाहन को किसी अन्य स्थान पर नहीं रखेगा।

bb) परिसंपत्ति की पंजीयन पुस्तिका या परिसंपत्ति से संबंधित बीमा पॉलिसी के खोने, नष्ट होने, या गुम होने के बारे में, ऐसी क्षति होने या दावा दाखिल करने के तीन दिनों के अंदर कंपनी को लिखित में सूचित करेगा। ऐसी किसी स्थिति में, कंपनी इस अनुबंध के अंतर्गत अपने अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना, ऋणकर्ता से ऐसे कदम उठाने की अपेक्षा कर सकती है जो कंपनी के हितों के संरक्षण के लिए अनिवार्य हो सकते हों।

cc) परिसंपत्ति या उसके किसी भाग पर कोई कुर्की या आपात बिक्री प्रभावी नहीं होने देगा या कुछ ऐसा होना अनुमत नहीं करेगा जो इसमें प्रतिभूति के प्रतिकूल या उसे जोखिमग्रस्त करने वाला हो सकता हो।

dd) ऐसे सभी कृत्य, कार्यवाहियां, आश्वस्तियां, मामले और कार्य करेगा जो इसमें सृजित प्रतिभूति, तथा एतद्द्वारा प्रदत्त अधिकारों, शक्तियों और उपचारों की अग्रिम आश्वस्ति और संपुष्टि के लिए कंपनी द्वारा अपेक्षित हो सकता हो और ऐसे दस्तावेज़ ऋणकर्ता के खर्चे पर निष्पादित करेगा जैसा इस संबंध में आवश्यक हो सकता हो।

ee) समस्त लागतों, व्ययों, दावों और कार्यवाहियों (दुर्घटना, क्षति या अन्य प्रकार से तीसरे पक्ष के प्रति उत्पन्न दायित्वों को सम्मिलित करते हुए) से कंपनी को क्षतिपूरित रखेगा और क्षतिपूरित रखने के प्रति सहमत होगा और परिसंपत्ति का कब्जा लेने, बीमा और बिक्री से संबंधित कानूनी लागतों, शुल्कों और व्ययों सहित समस्त भुगतान और व्यय समुचित रूप में वहन करेगा जिसमें किराए या करों हेतु या किसी अन्य मामले या मद में जैसा भी हो, कंपनी द्वारा भुगतान या चुकता किए गए समस्त व्यय और परिसंपत्ति की संपत्ति में उनके अधिकारों के संरक्षण, अभियोजन, प्रतिरक्षण या स्थापना संबंधी वहन किए गए समस्त खर्च प्रभार और व्यय शामिल हैं।

ff) परिसंपत्ति के कब्जे में होने के दौरान परिसंपत्ति या उसके किसी भाग को किसी भांति विक्रय, हस्तांतरित, प्रभार सृजन, आवंटन, गिरवी, रेहन, दृष्टिबंधित, किराए पर देना या समर्पण करना आदि नहीं करेगा।
सिवाय इसके कि जब तक यहां उल्लेखित सीमा के अतिरिक्त कंपनी से स्पष्ट लिखित अनुमति प्राप्त न की गई हो।

gg) कंपनी से लिखित में सहमति प्राप्त किए बिना वाहन को, जहां परिसंपत्ति एक वाहन है, किसी अन्य राज्य में पुनः पंजीकृत नहीं कराएगा।

hh) परिसंपत्ति के दृष्टिबंधन से मुक्त किए जाने तक हर समय, कंपनी और इसके अधिकारियों, एजेंटों या व्यक्तियों को परिसंपत्ति का निरीक्षण करने तथा किसी ऐसे परिसर में प्रवेश करने जहां इसे रखा गया हो सकता हो, की अनुमति प्रदान करेगा; निरीक्षण का अधिकार ऋणकर्ता द्वारा किसी भी समय पर अस्वीकृत या टाला नहीं जा सकता है।

ii) यदि परिसंपत्ति/वाहन को मरम्मत कराने के प्रयोजन से पुनः प्राप्त करना कंपनी द्वारा समीचीन माना जाए, तो उसके प्रति सहमत होगा और इसमें सहयोग करेगा।

jj) डाकखर्च, टेलीग्राम, टेलेक्स पंजीकृत डाक, टेलीफोन कॉलों, कानूनी कार्यवाहियों, और वसूली करने के लिए नियुक्त प्रतिनिधियों के अतिरिक्त खर्चों इत्यादिके खर्चों सहित, कंपनी को देय भुगतान वसूल करने या वसूल करने का प्रयास किए जाने के दौरान कंपनी द्वारा वहन किए गए किन्हीं खर्चों का कंपनी को भुगतान करने के लिए दायी होगा।

kk) ऋणकर्ता द्वारा प्रदत्त समस्त विवरण, अभिवेदन, घोषणाएं और सूचनाएं सत्य, सही, पूर्ण और अद्यतन, वैध और सभी प्रकार से वास्तविक हैं और कोई सूचना छिपाई नहीं गई है। कभी भी आवश्यक होने पर ऋणकर्ता आवश्यक नवीन सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। ऋणकर्ता के विरूद्ध प्रारंभ की गई किसी मुकदमेबाजी, विवाचन, प्रशासकीय या अन्य कार्यवाहियों के बारे में कंपनी को तत्काल सूचित करेगा।

ll) यदि ऋणकर्ता व्यक्ति से इतर एक निकाय है, तो यह उन पर या उनके व्यवसाय पर बाध्यकारी समस्त लागू कानूनों का अनुपालन करेगा।

mm) यदि ऋणकर्ता एक कंपनी है, तो ऋणकर्ता के पास यह सुविधा प्राप्त करने की शक्ति है और कुल उधारियां, निर्दिष्ट सीमा के अंदर हैं।

nn) ऋणकर्ता कंपनी के नियमों का पालन करेगा और वे उस पर बाध्यकारी होंगे जैसा कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जा सकते हों।

oo) यह कि कंपनी को ऋणकर्ता/गारंटर के समस्त संबंधित खातों पर धारणाधिकार का अधिकार प्राप्त है जिसमें ऐसे अन्य खाते सम्मिलित हैं जो बाद में (सृजित) किए गए हो सकते हों/बाद में ऋणकर्ता/गारंटर से संबंधित पाए जा सकते हों (इस संदर्भ में संबंधित खातों का आशय उन सभी खातों को सम्मिलित करते हुए है जिनमें कंपनी अधिनियम, 2013 में यथानिर्दिष्ट अनुसार ऋणकर्ता या उनका/उसका कोई रिश्तेदार एक गारंटर और गारंटर एक ऋणकर्ता है, या उनका कोई साझेदार, कंपनी से प्राप्त की गई किसी वित्तीय सुविधा के अंतर्गत ऋणकर्ता/गारंटर है)

pp) ऋणकर्ता/गारंटर यह पुष्टि करता है कि वह/उसके पारिवारिक सदस्य/निकट संबंधी, राजनैतिक अनावरित व्यक्ति नहीं हैं, जैसा कि आरबीआई के केवाईसी दिशानिर्देशों में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा ऋणकर्ता/गारंटर, उक्त स्थिति में कोई परिवर्तन होने पर कंपनी को तत्काल सूचित करने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है।

qq) ऋणकर्ता एतद्द्वारा यह जिम्मेदारी स्वीकार करता है कि वह/यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी ऐसी गतिविधि में संलिप्त नहीं है जो कंपनी की समय-समय पर जारी क्रेडिट नीतियों में अपवर्जित सूची में हो या ऐसी किसी गतिविधि में संलिप्त नहीं है जो देश के सामाजिक और आर्थिक वातावरण को जोखिमग्रस्त या विपरीत प्रभावित कर सकती हों।

rr) "अनुबंध का लाभ" यह अनुबंध एतद्द्वारा ऋणकर्ता के लाभार्थ और उसके/इसके वंशजों, निष्पादकों, प्रशासकों, कानूनी प्रतिनिधियों और उत्तराधिकारियों पर बाध्यकारी होगा ऋणकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, उक्त उल्लेखित व्यक्ति/यों द्वारा निम्न कार्य किए जाएंगे: (i) मृत ऋणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित पश्च दिनांकित चैकों, बीमा प्रीमियम की चैकों, शुल्कों, प्रभारों और, अवशेष चैकों को इस अनुबंध के अंतर्गत निर्दिष्ट तरीके से उसे प्रथमतया ऋणकर्ता मानते हुए बदला जाएगा। (ii) मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत आवेदन करेगा और वाहन को अपने नाम हस्तांतरित कराएगा (iii) एक नया अनुबंध, मुखतारनामा, और ऐसे अन्य दस्तावेज़ निष्पादित करेगा जैसा कंपनी द्वारा अपेक्षित किया जा सकता हो।

उक्त के बावजूद, कानूनी प्रतिनिधि के साथ अनुबंध जारी रखने या न जारी रखने के बारे में कंपनी अपने पूर्ण विवेकानुसार निर्णय लेने के लिए अधिकारी होगी। कानूनी प्रतिनिधि द्वारा उक्त प्रक्रिया का पालन न करने या मना करने या कंपनी की क्रेडिट व अन्य अपेक्षाएं पूरी न करने की स्थिति में कंपनी अपने पूर्ण विवेकानुसार परिसंपत्ति/वाहन को पुनः कब्जे में लेने/निस्तारण/विक्रय/किसी तृतीय पक्ष को हस्तांतरित करने की अधिकारी होगी और ऐसी वसूली में कोई कमी, कानूनी प्रतिनिधि से वसूल की जाएगी।

14. परिसंपत्ति का उपयोग:

a) ऋणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि दृष्टिबंधित परिसंपत्ति का उपयोग केवल कानूनी व्यवसाय हेतु किया जाए और उसका उपयोग इस प्रकार करेगा कि केंद्र या राज्य के किसी निषेध, एक्साइज व अन्य अधिनियमों से संबंधित किन्हीं वैधानिक प्रावधानों की अवहेलना या उल्लंघन न होता हो।

b) ऋणकर्ता यह जिम्मेदारी स्वीकार करता है कि इस अनुबंध की निरंतरता के दौरान जहां भी आवश्यक हो, परिसंपत्ति को वैध अनुज्ञापत्र (परमिट) के अंतर्गत रखेगा और ऋणकर्ता द्वारा वित्तीय सुविधा प्राप्त किए जाने के समय दाखिल किए गए प्रस्ताव में उल्लेखित प्रयोजन से ही परिसंपत्ति का उपयोग करेगा और परिसंपत्तियों की खरीद, रखने, उपयोग पर न्यायिक प्राधिकार रखने वाले किसी पंजीयन प्राधिकारी द्वारा यदि उसे कोई अनुज्ञापत्र जारी किया गया है तो उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों का कडाई से पालन करेगा।

c) ऋणकर्ता यह जिम्मेदारी स्वीकार करता है कि उसके द्वारा या उसके कर्मचारियों या एजेंटों द्वारा परिसंपत्ति का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन से नहीं किया जाएगा जिसके लिए बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अंतर्गत अनुमति न हो न ही कोई ऐसा कृत्य या आचरण करेगा न ही करने की अनुमति देगा जिससे बीमा अवैध हो सकता हो और विशेषरूप से, परिसंपत्ति/वाहन का उपयोग ऐसे किसी माल/वस्तुओं के परिवहन हेतु नहीं करेगा जिससे वन, एक्साइज, सीमाशुल्क, व्यापार कर, निषेध, अफीम, रेलवे संपत्ति, गैरकानूनी कब्जेदारी, स्वर्ण नियंत्रण इत्यादि से संबंधित केंद्रीय व राज्य विधायिकाओं के अधिनियमों के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन होता हो, और कोई गैरकानूनी या अवैधानिक गतिविधि नहीं करेगा और परिसंपत्ति का कोई अनुचित या गैरकानूनी उपयोग किए जाने के परिणामस्वरूप उसके संदर्भ में कंपनी को हुई किसी क्षति या हानि के लिए ऋणकर्ता जिम्मेदार होगा। ऋणकर्ता यह जिम्मेदारी स्वीकार करता है कि वह अपनी लागत और खर्चे पर परिसंपत्ति का उपयोग केवल उसी प्रयोजन से करेगा जैसा ऋणकर्ता द्वारा कंपनी को सूचित और इस अनुबंध में यथानिर्दिष्ट किया गया है।

d) ऋणकर्ता उक्त परिसंपत्ति को अपनी अभिरक्षा और नियंत्रण में, अच्छी उपयोगी चालू हालत में, मरम्मतशुदा, अनुरक्षित रखना सुनिश्चित करेगा और कंपनी से लिखित में पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना उक्त परिसंपत्ति को अपने पते या अन्य अनुमत पते से नहीं हटाएगा।

e) परिसंपत्ति के एक वाहन होने के नाते उसके संदर्भ में ऋणकर्ता समय-समय पर प्रदूषण उत्सर्जन नियंत्रण प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।

15. बीमा और अनुरक्षण:

इस अनुबंध के निष्पादन के तत्काल पश्चात तथा परिसंपत्ति के दृष्टिबंधन से मुक्त किए जाने और कंपनी की संतुष्टि के अनुसार ऋणकर्ता द्वारा ऋण का पूरा निपटान कर दिए जाने तकः

a) ऋणकर्ता परिसंपत्ति को असीमित तृतीय पक्ष दायित्व जोखिमों के अलावा, आग, दंगों, जन-संक्षोभ (सार्वजनिक उपद्रवों), बाढ़, भूकम्प, सुनामी, चोरी, और ऐसे अन्य समस्त जोखिमों के विरूद्ध जिनके प्रति परिसंपत्ति सामान्तया असुरक्षित है, अनिवार्य, समग्र या अन्य बीमा पॉलिसियों द्वारा पूर्ण व समुचित रूप से बीमित रखेगा।

b) परिसंपत्ति को किसी हानि या क्षति हेतु किसी दावे के अंतर्गत कंपनी को बीमाकर्ता से कोई भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होगा। ऋणकर्ता एतद्द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से कंपनी को बीमा प्राप्तियों का दावा करने तथा इस अनुबंध के अंतर्गत देय और बकाया धनराशि के सापेक्ष उन्हें विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत करता है। ऋणकर्ता बीमाकर्ता से भुगतान प्राप्त करने की कंपनी की हकदारिता को विवादित नहीं करेगा या चुनौती नहीं देगा और यदि आवश्यक हो, कंपनी द्वारा भुगतान प्राप्ति में सुगमता के लिए अनिवार्य पत्र, वाउचर, निस्तारण या अन्य दस्तावेज़ निष्पादित करेगा। ऋणकर्ता, बीमा पॉलिसी और इसके नवीनीकरण के संदर्भ में समस्त निर्देशों का पालन करेगा, जैसा कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता हो।

c) ऋणकर्ता उक्त बीमा को प्रभावी रखने के लिए आवश्यक समस्त प्रीमियमों और अन्य राशियों का भुगतान समयबद्ध तरीके से करेगा और बीमा पॉलिसी और उसके बाद नवीनीकररण प्रमाणपत्रों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां कंपनी में प्रस्तुत और उपलब्ध कराएगा। ऋणकर्ता ऐसी प्रत्येक पॉलिसी कंपनी को आवंटित/पृष्ठांकित करेगा। प्रत्येक बीमा पॉलिसी 'हानि आदाता' के रूप में कंपनी के पक्ष में अभीष्ट पृष्ठांकन सहित ऋणकर्ता के नाम से होगी और अतिरिक्त पृष्ठांकन कंपनी के बैंकरों के नाम से किया जाएगा, यदि ऐसा करना कंपनी द्वारा अपेक्षित हो।

d) कंपनी अपने पूर्ण विवेकानुसार एक सुविधादाता (सुगमकर्ता) के रूप में, ऋणकर्ता की ओर से बीमा करा सकती है और ऋणकर्ता ऐसे बीमा की लागत की प्रतिपूर्ति करेगा। यहां निहित कुछ भी कंपनी द्वारा परिसंपत्ति को बीमित रखने की वचनबद्धता नहीं माना जाएगा, जो कि ऋणकर्ता का कर्तव्य होगा और परिसंपत्ति के बीमारहित रहने की स्थिति में होने वाली किसी हानि या क्षति के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

e) कंपनी अपने पूर्ण विवेकानुसार परिसंपत्ति/यों को बीमित कराने और/या निजी दुर्घटना, अस्पताल में भर्ती होने, ऋणकर्ता की गंभीर बीमारी और/या ऋण राशि के जोखिम बीमांकित कराने के लिए बीमा प्रीमियम का वित्तपोषण कर सकती है, जिसके लिए हानि आदाता के रूप में कंपनी का नाम अंकित करते हुए समूह बीमा पॉलिसी ली जाएगी। ऋणकर्ता/ओं के विशिष्ट अनुरोध पर, कंपनी ऋणकर्ता की ओर से संबंधित देय तिथियों पर बीमा कंपनी को ऐसे भुगतान सीधे कर सकती है और ऐसे बीमा प्रीमियम, ऋण राशि का भाग होंगे।

f) ऋणकर्ता परिसंपत्ति का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन से नहीं करेगा जिसके लिए बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अधीन अनुमति न हो, और कोई ऐसा कृत्य नहीं करेगा या करना अनुमत नहीं करेगा जो बीमा को अमान्य बना सकती हो।

g) ऋणकर्ता अपने खर्चे पर और बिना किसी अनुचित विलंब के, किसी दुर्घटना के कारण या अन्य किसी कारण से परिसंपत्ति की मरम्मत कराएगा और निपटान के लिए बीमा कंपनी के समक्ष बीमा दावे के संदर्भ में बिल प्रस्तुत करेगा। ऋणकर्ता के विरूद्ध अतिदेय न होने की स्थिति में, कंपनी किसी दावे के संदर्भ में बीमा कंपनी से प्राप्त ऐसे कोई लाभ उसे हस्तांतरित करेगी।

h) ऋणकर्ता परिसंपत्तिको, कंपनी की संतुष्टि के स्तर तक अनुरक्षित और अच्छी चालू हालत और दशा में रखना सुनिश्चित करेगा और समय-समय पर आग, दुर्घटना या अन्य किसी कारण से होने वाली मरम्मत और अनुरक्षण के समस्त खर्चे वहन करेगा।

i) इस अनुबंध के अस्तित्वकाल में किसी बीमा प्राप्ति का प्रथम दावा कंपनी का होगा और कंपनी के हितों के संरक्षण हेतु ऋणकर्ता अपरिवर्तनीय रूप से कंपनी को ऋणियों के जोखिम और लागत पर और ऋणियों की ओर से आवश्यक कदम उठाने और कार्यवाहियां करने और किन्हीं दावों के निबटान कराने के लिए, जैसा कंपनी द्वारा उपयुक्त पाया जाए, और ऐसे दावे प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करता है। कंपनी द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही न करने का विकल्प चुनने की स्थिति में ऋणकर्ता, कंपनी के विरूद्ध कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं होगा। कंपनी का ऐसा कोई कृत्य, इस अनुबंध के अंतर्गत किन्हीं अधिकारों का अधित्याग नहीं माना जाएगा। बीमा दावे की स्थिति में, कंपनी अपने पूर्ण विवेकानुसार दावा प्राप्तियां प्राप्त और विनियोजित करेगी। परिसंपत्ति की सम्पूर्ण हानि की स्थिति में, यदि बीमा कंपनी द्वारा तय की गई धनराशि, अनुबंध के अनुसार ऋणकर्ता पर कंपनी की बकाया और देय धनराशि से कम है, तो ऋणकर्ता एतद्द्वारा अवशेष बकाया धनराशि कंपनी को तत्काल चुकता करने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। ऋणकर्ता एतद्द्वारा सहमत है और जिम्मेदारी स्वीकार करता है कि वह कंपनी द्वारा बीमाकर्ता के साथ तय किए गए निपटान के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न नहीं करेगा।

16. गारंटर के दायित्व:

a) गारंटर एतद्द्वारा कंपनी को गारंटी देता है कि ऋणकर्ता द्वारा देय तिथियों पर किश्तों का भुगतान करने या इस अनुबंध के अंतर्गत उसके किन्हीं दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने पर गारंटर, आश्वस्ति देता, जिम्मेदारी लेता और खुद को दायी ठहराता है कि वह ऐसी कोई धनराशियां मांगे जाने पर कंपनी को बिना किसी विवाद या विलंब के चुकता करेगा। हालांकि, कोई डिफॉल्ट होने की स्थिति में कंपनी की ओर से मांग किए जाने में किसी विफलता या विलंब के होने पर, गारंटर को इस अनुबंध के अंतर्गत उसके दायित्वों से छूट नहीं होगी।

b) इस अनुबंध के अंतर्गत ऋणकर्ता द्वारा कंपनी को देय किश्तों, ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, प्रभार, शुल्क, लागतें और कोई अन्य देयक जो भी देय हों, सहित समस्त अवशेष बकाया धनराशियों के लिए गारंटर की देयता, एतद्द्वारा ऋणकर्ता की देयता के साथ सहवर्ती रूप में होगी।

c) गारंटर सहमति प्रदान करता है कि उसकी देयता महज जमानती नहीं बल्कि एक प्राथमिक बाध्यताधारी की होगी और कंपनी द्वारा ऋणकर्ता को दी किसी सुविधा या मोहलत के कारण से या इस अनुबंध के अंतर्गत उक्त ऋण के पुनर्भुगतान/चुकौती या सृजित किए जाने हेतु प्रस्तावित किसी प्रतिभूति के संदर्भ में या किन्हीं देयकों के भुगतान में दर्शित किसी रियायत या नर्मीता के कारण से, गारंटी बाधित या निस्तारित नहीं होगी। इसके अलावा, गारंटर सहमति प्रदान करता है कि ऐसी कोई सुविधा, दी मोहलत, या दर्शित नर्मीता या रियायत गारंटर को तथा उसकी सहमति से उसे समुचित नोटिस के बाद दी गई मानी जाएगी।

d) कंपनी और अन्य गारंटर के बीच, यदि कोई हो, किए जा सकने वाले किसी समझौते से पृथक, या अन्य के दायित्व मोचन से पृथक, गारंटर के विरूद्ध कंपनी के अधिकार पूर्ण रूप से लागू और प्रभावी रहेंगे और कंपनी को गारंटर के इन दायित्वों के निष्पादन की उस सीमा तक अपेक्षा करने की स्वतंत्रता होगी जैसे कि गारंटर सदैव उक्त दायित्व निष्पादित करने के लिए अकेले ही पूरी तरह से उत्तरदायी हो।

e) गारंटर एतद्द्वारा सहमति प्रदान करता है कि उसकी सहमति/सम्मति के बिना ऋणकर्ता और कंपनी को इस अनुबंध और/या सृजित प्रतिभूति और/या ऋणकर्ता द्वारा कंपनी के पक्ष में निष्पादित प्रतिभूति दस्तावेज़ों के नियम और शर्तें परिवर्तित, संशोधित या परिवर्धित करने और विशेष रूप से ऋणकर्ता द्वारा कंपनी को ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन, जिसमें इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुरूप ब्याज दर में कोई वृद्धि भी शामिल है, जैसा कंपनी द्वारा अनिवार्य माना जा सकता हो, देय ऋण और/या ब्याज तथा अन्य धनराशियों का पुनर्भुगतान/चुकौती टालने, स्थगित करने, या पुनरीक्षित करने की स्वतंत्रता होगी। कंपनी को ऋण सुरक्षित करने के लिए ऋणकर्ता द्वारा कंपनी के समक्ष प्रस्तुत या प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित समस्त या किन्हीं प्रतिभूति/प्रतिभूतियों को पूर्णतया निस्तारित करने या मुक्त करने की भी स्वतंत्रता होगी।

f) गारंटर को कोई नोटिस दिए बिना, और इस गारंटी को किसी भांति प्रभावित किए बिना, इस अनुबंध के अंतर्गत कंपनी के पास निहित किसी शक्ति या शक्तियों को किसी समय पर और किसी भांति प्रवर्तित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, या ऋणकर्ता द्वारा कंपनी को देय किश्तों या अन्य धनराशियों का भुगतान प्रवर्तित करने या प्रवर्तन टालने, या कंपनी को उपलब्ध किन्हीं उपचारों या प्रतिभूतियों, कोई प्रशमन करने या ऋणकर्ता और गारंटर को मोहलत या कोई अन्य रियायत या सुविधा देने से कंपनी उक्त मामलों में अपनी स्वतंत्रता प्रयोग करने के अधिकार का त्याग नहीं करेगी, या कंपनी के किसी कृत्य या उसकी ओर से कोई चूक या किसी अन्य मामले या बात द्वारा जो भी हो, जो कानूनन प्रतिभूतियों से संबंधित हो, लेकिन इस प्रावधान हेतु, इस प्रकार मुक्त किए जाने के प्रभावस्वरूप गारंटर और गारंटर समस्त जमानती और अन्य अधिकारों का जिन्हें गारंटर अन्यथा प्रवर्तित करने के लिए हकदार हो सकता है, एतद्द्वारा कंपनी के पक्ष में अधित्याग करता है जहां तक इस गारंटी के किसी भी प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए अनिवार्य हो सकता हो।

g) यह गारंटी, बा ावजूद इसके गारंटर के विरूद्ध प्रवर्तनीय रहेगी कि ऋण के भुगतान हेतु कोई प्रतिभूति या प्रतिभूतियां, इस गारंटी पर गारंटर के विरूद्ध प्राप्तियां ली जाने के समय बकाया हों या वसूल न हुए हों या खो जाएं।

h) गारंटर सहमति प्रदान करता है कि कंपनी के खाता विवरणों की समुचित प्रमाणित प्रति, इस अनुबंध के अंतर्गत बकाया और देय धनराशि के मामले में गारंटर पर बाध्यकारी होगी।

i) ऋणकर्ता के दिवालिया होने, या उसे दिवालिया घोषित करने के लिए किसी याचिका या प्रस्ताव या आदेश के प्रस्तुत किए जाने, पारित होने या किए जाने अथवा कंपनी या ऋणकर्ता के संविधान में कोई परिवर्तन होने से एतद्द्वारा गारंटर की देयता किसी भांति प्रभावित नहीं होगी।

j) गारंटर एतद्द्वारा सहमत है और घोषित करता है कि इस ऋण के अलावा ऋणकर्ता अन्य ऋण या अन्य सुविधाएं और/या इस गारंटी के दौरान उनका नवीनीकरण कराने के लिए स्वतंत्र होगा, जिस स्थिति में यह निहित गारंटी किसी भांति जो भी हो, प्रभावित या दूषित नहीं होगी बल्कि पूर्ण प्रवर्तित और प्रभावी तथा गारंटर पर बाध्यकारी रहेगी।

k) गारंटर सहमति प्रदान करता है कि कंपनी को प्रतिभूति और या परिसंपत्ति मुक्त करने का अधिकार है और उससे इस अनुबंध के अंतर्गत गारंटर के दायित्व निस्तारित नहीं होंगे।

l) गारंटर एतद्द्वारा सहमत है कि इस अनुबंध के अंतर्गत गारंटर से कोई भुगतान अपेक्षित करने से पूर्व कंपनी के लिए ऋणकर्ता के विरूद्ध अपने अधिकार निःशेष करना या कोई कार्यवाही करना अनिवार्य नहीं है।

m) इस अनुबंध या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज़ के किसी प्रावधान के संदर्भ में कंपनी और ऋणकर्ता के बीच कोई विवाद लंबित होने के बावजूद गारंटर, कंपनी द्वारा मांगे जाने पर इस गारंटी के अंतर्गत देय और बकाया भुगतान करने के लिए सहमत है।

n) ऋणकर्ता द्वारा, पूर्ण ऋण राशि समस्त ब्याज, विलंब भुगतान प्रभारों, लागतों, प्रभारों, तथा अन्य समस्त धनराशियों के साथ जो इस अनुबंध के अंतर्गत कंपनी को देय और बकाया हो सकती हों और जिनका भुगतान न किया गया हो, को चुकता किए जाने तक यह गारंटी अविरल रहेगी और पूर्ण रूप से लागू तथा प्रभावी रहेगी।

o) गारंटर सहमति प्रदान करता है कि इस अनुबंध में किसी दोष या अमान्यता और/या अपूर्ण दस्तावेज़ों या लिखितों के बावजूद, यह गारंटी वैध और क्रियाशील रहेगी और इस गारंटी के निष्पादन के सिवाय (अन्य किसी तरह से) गारंटर की देयता निस्तारित नहीं होगी।

p) कंपनी को ऋणकर्ता द्वारा किए गए किसी भुगतान या निपटान द्वारा यह गारंटी पूर्ण या आंशिक संतुष्ट या निस्तारित नहीं की जा सकेगी और इस ऋण अनुबंध के अंतर्गत कंपनी को देय समस्त बकाया धनराशियों का पूर्णतया पुनर्भुगतान/चुकौती किए जाने तक वैध तथा गारंटर पर बाध्यकारी और क्रियाशील रहेगी।

q) यह गारंटी अपरिवर्तनीय है और कंपनी द्वारा कोई अन्य कार्पोरेट या पर्सनल गारंटी प्राप्त किए जा सकने के बावजूद पूर्ण रूप से लागू और प्रभावी रहेगी जब तक कि ब्याज व समस्त अन्य खर्चों और देयकों सहित ऋण के पुनर्भुगतान/चुकौती सहित, कंपनी के प्रति समस्त देयकों का ऋणकर्ता द्वारा पूरा भुगतान नहीं कर दिया जाता। यह गारंटी, गारंटर के वंशजों, निष्पादकों, और प्रशासकों पर बाध्यकारी होगी।

17. समयपूर्व समापन:

a) ऋणकर्ता के अनुरोध पर कंपनी अपने पूर्ण विवेकानुसार, और समयपूर्व समापन की अपने द्वारा निर्दिष्ट की जा सकने वाली शर्तों के अधीन, पुनर्भुगतान/चुकौती हेतु किश्तों की शीघ्र अदायगी अनुमत कर सकती है। ऋण संवितरण की तिथि से छह माह के अंदर किसी समयपूर्व समापन की अनुमति नहीं होगी।

b) ऋणकर्ता द्वारा समयपूर्व भुगतान का अपना आशय स्पष्ट करते हुए कंपनी को कम से कम 21 दिन का अग्रिम नोटिस देकर तथा कंपनी को ऋण का पूर्ण बकाया मूलधन, अतिदेय किश्तें, ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, और अन्य समस्त देय धनराशियों जो इस अनुबंध के तहत ऋणकर्ता द्वारा कंपनी के

प्रति देय हों, को नकद या चैक (किन्तु उसका भाग नहीं) प्रस्तुत करते हुए उस समस्त बकाया ऋण राशि का समयपूर्व भुगतान कर सकता है। समयपूर्व समापन किए जाने पर, इस अनुबंध की अनुसूची में यथानिर्दिष्ट अथवा कंपनी द्वारा विनिश्चित दरों पर एक शुल्क लागू होगा।

c) वक्तव्य (विवरण) में उल्लेखित समयपूर्व समापन राशि खाता विवरण में दर्शित चैकों के नकदीकरण और इस मान्यता पर कि अनुबंध के अंतर्गत समस्त भुगतान प्रेषित कर दिए गए हैं, के विषयाधीन होगी, जिसमें विफल होने पर उसे उत्क्रमित कर दिया जाएगा और चिन्हित किए जाने पर वह चैक अनादरण प्रभारों, अतिरिक्त ब्याज और अन्य प्रभारों जैसा लागू हों, सहित देय हो जाएगी चाहे अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किया जा चुका हो।

18. अतिरिक्त ब्याज:

समाप्ति के अधिकारों, तथा इस अनुबंध के अंतर्गत निहित कंपनी के किन्हीं अन्य अधिकारों को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना, देय तिथि पर किश्तों या किन्हीं अन्य देयकों के भुगतान में चूक (डिफॉल्ट)/विलंब/कंपनी द्वारा सुविधा समाप्त किए जाने/वापस लिए जाने की स्थिति में, ऋणकर्ता/गारंटर देय तिथि से वास्तविक भुगतान तिथि तक बकाया धनराशि पर अतिरिक्त ब्याज चुकता करने हेतु दायी होगा। इस अनुबंध में जहां भी अतिरिक्त ब्याज संदर्भित किया गया है, वह इस अनुसूची में उल्लेखित दर पर या कंपनी द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जा सकने वाली ऐसी अन्य दरों पर प्रभारित किया जाएगा।

19. समनुदेशन और प्रतिभूतिकरण:

a) यह अनुबंध ऋणकर्ता और गारंटर हेतु व्यक्तिगत है। ऋणकर्ता या गारंटर इस अनुबंध के अंतर्गत अपने किन्हीं अधिकारों या दायित्वों या लाभों को कंपनी से पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने के अधिकारी नहीं हैं।

b) कंपनी ऋणकर्ता/गारंटर को सूचित किए बिना, इस अनुबंध के अंतर्गत किश्तें और ऋण शेषराशि प्राप्त करने के अधिकार सहित, अपने किन्हीं या समस्त अधिकारों, लाभों, दायित्वों, कर्तव्यों और देयताओं को किसी व्यक्ति या निकाय को विक्रय, हस्तांतरण, प्रतिभूतिकरण, प्रभार या प्रतिभूति या अन्य प्रकार से प्रदत्त, प्रतिभूतिकृत, विक्रय, आवंटित या हस्तांतरित करने हेतु पूर्णतया पात्र है और पूर्ण शक्ति व प्राधिकार प्राप्त है और ऐसी कोई बिक्री, समनुदेशन या हस्तांतरण ऋणकर्ता/गारंटर पर निर्णायक रूप से बाध्यकारी होगा और ऋणकर्ता और गारंटर इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों का निष्पादन ऐसे आवंटी के प्रति करेंगे। ऋणकर्ता स्पष्ट रूप से अभिज्ञानित और स्वीकार करता है कि ऋणकर्ता को संदर्भित किए बिना या लिखित रूप से सूचित किए बिना कंपनी की पसंद के किसी तृतीय पक्ष को, कंपनी को अपने समस्त अधिकार और हित पूर्ण या आंशिक रूप से और उस प्रकार से और ऐसी शर्तों पर जैसा कंपनी द्वारा निश्चित किया जा सकता हो, जिसमें खरीदार, आवंटी या स्थानांतरी की ओर से ऋणकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही की शक्ति रखने का अधिकार आरक्षित रखना भी शामिल है, विक्रय, आवंटित या स्थानांतरित करने की पूर्ण शक्ति और प्राधिकार प्राप्त है।

c) ऋणकर्ता से संबंधित और संदर्भित किसी तथ्य या उसके द्वारा प्रस्तुत सूचना को सत्यापित कराने के लिए, और/या ऋणकर्ता पर बकाया वसूल करने के लिए/प्रतिभूति प्रवर्तित करने के लिए, और ऐसे व्यक्ति(यों) को ऐसे दस्तावेज़, सूचनाएं, तथ्य और आंकड़े प्रदान करने के लिए, जैसा कंपनी द्वारा उपयुक्त पाया जाए, ऋणकर्ता एतद्द्वारा कंपनी को ऋणकर्ता के जोखिम और खर्च पर एक या अधिक व्यक्ति(यों) को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत करता है, और इस संबंध में समस्त व्यय ऋणकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।

20. धारणाधिकार और समायोजन:

a) कंपनी में ऋणकर्ता/गारंटर के किसी खाते में, जो भी हो, उपलब्ध/जमा (क्रेडिट) समस्त धनराशियों पर धारणाधिकार और समायोजन का अधिकार प्राप्त होगा। यदि कंपनी द्वारा मांग किए जाने पर ऋण खाते में अवशेष बकाया राशि की चुकौती निर्दिष्ट समय-सीमा में नहीं की जाती है, तो ऋणकर्ता/गारंटर या कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथापरिभाषित उसके किन्हीं संबंधियों के किसी खाते में, जैसा भी मामला हो, ऐसी जमाराशि ऋण खाते के अंतर्गत देयकों के विरूद्ध समायोजित कर ली जाएगी। कोई कमी होने की स्थिति में, कंपनी द्वारा शेष धनराशि ऋणकर्ता/गारंटर से वसूल की जा सकती है।

b) इन प्रस्तुतिकरणों में निहित कुछ भी, प्रतिभूति दस्तावेज़ या गारंटी पत्र या उनमें से किसी के या किसी कानून के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों और शक्तियों को प्रतिकूल प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।

c) ऋणकर्ता/गारंटर द्वारा समायोजन या प्रतिदावा नहीं किया जाएगा और यह कि इस अनुबंध के अंतर्गत ऋणकर्ता द्वारा किए गए समस्त भुगतान, बिना समायोजन या गारंटी या उनमें से किसी के या किसी कानून के अंतर्गत किए जाएंगे।

21. क्षतिपूर्ति:

ऋणकर्ता/गारंटर कंपनी को ऐसी सभी कार्यवाहियों, वादों, कार्यवाहियों और समस्त लागतों, प्रभारों, बीमा प्रीमियम व्ययों, हानियों या क्षति के विरूद्ध क्षतिपूर्ति करेंगे और क्षतिपूरित रखेंगे जो ऋणकर्ता/गारंटर की ओर से एतद्द्वारा कंपनी को कोई गलत या भ्रामक सूचना प्रदान किए जाने के कारण या ऋणकर्ता/गारंटर द्वारा किन्हीं नियमों, शर्तों, अनुबंधों और उनमें निहित प्रावधानों के किसी उल्लंघन/चूक/विरोधाभास/अवहेलना/पालन न करने के कारण कंपनी द्वारा वहन या उस पर भारित हो सकते हैं। कंपनी ऋणकर्ता द्वारा इस उपबंध के अधीन देय किसी धनराशि को इस अनुबंध के विषयाधीन उक्त देयकों में सम्मिलित करने की अधिकारी होगी।

22. नोटिस:

इस संबंध में दिया जाने वाला कोई नोटिस उक्तानुसार यहां उल्लेखित ऋणकर्ता के पते/पतों पर पंजीकृत डाक/कोरियर/टेलीग्राम/फैक्स प्रेषण/ईमेल से प्रेषित किए जाने पर या ऐसे किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रकार से प्रेषित किए जाने पर ऋणकर्ता को समुचित अधिसूचित करने के लिए समुचित रूप में प्रदत्त और प्राप्त कराया गया माना जायेगा और ऐसा नोटिस, प्रेषण की तिथि के पश्चात तीसरे कार्यदिवस या प्राप्तगी की वास्तविक तिथि में से जो भी पहले हो, से प्रभावी माना जायेगा।

23. लागतें और व्यय:

इस अनुबंध के संबंध में, इसके अनुपालन में निष्पादित किसी दस्तावेज़ और किसी प्रतिभूति के सृजन, प्रवर्तन, नकदीकरण, या नकदीकरण के प्रयास से संबंधित समस्त लागतें (वकील के शुल्क सहित), प्रभार, व्यय, कर, ड्यूटी (स्टाम्प ड्यूटी सहित) ऋणकर्ता और गारंटर द्वारा वहन और भुगतान किए जाएंगे। ऋणकर्ता और गारंटर, कंपनी के प्रति बकाया किश्तें व कोई अन्य धनराशि वसूल करने या वसूल करने का प्रयास किए जाने के संबंध में कंपनी द्वारा वहन किए गए किन्हीं व्ययों का इसे भुगतान करने के लिए दायी होंगे, जिनमें कानूनी कार्यवाहियों, तथा वसूलियों हेतु नियुक्त प्रतिनिधियों के खर्च भी शामिल हैं।

ऋणकर्ता/गारंटर, कंपनी द्वारा चुकता समस्त धनराशियां या वहन किए गए व्यय, कंपनी की ओर से मांग नोटिस तिथि से 3 दिनों के अंदर प्रतिपूर्ति करेंगे। उक्त धनराशियों पर भुगतान की तिथि से प्रतिपूर्ति की तिथि तक डिफॉल्ट हेतु निर्दिष्ट दर पर ब्याज लगाया जाएगा।

24. अधित्याग:

कंपनी को इस अनुबंध या किसी अन्य अनुबंध या दस्तावेज़ के अंतर्गत या कंपनी द्वारा प्रदत्त छूट के संबंध में किन्हीं अधिकारों, शक्तियों या उपचारों के प्रयोग में विलंब या प्रयोग में चूक ऐसे किसी अधिकार, शक्ति या उपचार को बाधित नहीं करेगा और इनका अधित्याग नहीं माना जाएगा या किसी डिफॉल्ट में रजामंदी नहीं माना जाएगा न ही किसी डिफॉल्ट के संदर्भ में कंपनी द्वारा कार्यवाही किया जाना या कार्यवाही न किया जाना या किसी डिफॉल्ट में इसकी कोई समनुमति किसी अन्य डिफॉल्ट के संदर्भ में कंपनी के किसी अधिकार, शक्ति या उपचार को बाधित करेगी।

25. प्रवर्तनीयता:

इस अनुबंध में निर्धारित एक या अधिक प्रावधान अमान्य या अप्रवर्तनीय हो जाने पर, यह सहमति है कि अनुबंध का शेष भाग उसके बावजूद कानूनन अनुमत सीमा तक प्रवर्तनीय रहेगा और अमान्य या अप्रवर्तनीय हो जाने वाले ऐसे किसी अधिकार या प्रावधान में पक्षों का अभिप्राय तद्नुसार प्रभावी होगा।

26. क्रेडिट जानकारी:

a) ऋणकर्ता/गारंटर कंपनी द्वारा निम्नानुसार समस्त या किन्हीं के प्रकटीकरण हेतु एतद्द्वारा सहमत हैं और सम्मति प्रदान करते हैं:

i) ऋणकर्ता/गारंटर से संबंधित सूचनाएं और आंकड़े;
ii) ऋणकर्ता/गारंटर द्वारा प्राप्त की गई/की जाने वाली किसी क्रेडिट सुविधा के संबंध में सूचनाएं और आंकड़े
iii) ऋणकर्ता/गारंटर द्वारा उसके दायित्वों के निर्वाहन में की गई चूक, यदि कोई हो, जैसा कंपनी द्वारा इस संबंध में आरबीआई की ओर से प्राधिकृत क्रेडिट सूचना कंपनी/कंपनियों और/या एजेंसी/एजेंसियों के समक्ष प्रकटित और प्रस्तुत करना उपयुक्त और अनिवार्य पाया जाए।

b) ऋणकर्ता/गारंटर यह वचनबद्धता करता है कि इस प्रकार प्राधिकृत क्रेडिट सूचना कंपनी/कंपनियां और/या एजेंसी/एजेंसियां निम्न कर सकती हैं:
i) कंपनी द्वारा प्रकटित सूचनाओं और आंकड़ों का उपयोग और प्रक्रमण, जैसा उनके द्वारा उपयुक्त पाया जाए; और
ii) उनके द्वारा प्रक्रमित सूचनाएं और आंकड़े या उनके उत्पाद बैंकों/वित्तीय संस्थानों और अन्य क्रेडिट दाताओं या पंजीकृत उपयोक्ताओं के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना, जैसा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता हो। इसके अलावा ऋणकर्ता/गारंटर, कंपनी द्वारा ऋणकर्ता/गारंटर की समस्त या कोई सूचनाएं ग्रुप कंपनियों, अनुषंगियों, या किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकटित करने के लिए, जैसा कंपनी द्वारा उपयुक्त पाया जाए, सहमत है और सम्मति प्रदान करता है।

27. विविध:

a) किन्हीं नियमों और शर्तों (इस अनुबंध के अंतर्गत लगाई गई ब्याज दर, अतिरिक्त ब्याज दर, समयपूर्व समापन पर लागू दर तथा कोई अन्य प्रभार सहित) को उत्तरव्यापी प्रभाव से बदलने, संशोधित करने, या पुनरीक्षित करने,
और नियमों एवं शर्तों में किन्हीं परिवर्तनों के बारे में ऋणकर्ता को उस प्रकार सूचित करने, जैसा इसके द्वारा उपयुक्त पाया जाए, का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है।

b) ऋणकर्ता/गारंटर के पते में किसी परिवर्तन के बारे में, ऐसे परिवर्तन के पश्चात 4 दिनों के अंदर कंपनी को लिखित रूप में सूचित करना होगा।

c) यह अनुबंध भारत के संविधान के अनुरूप प्रशासित और व्याख्यायित होगा।

d) यदि ऋणियों की संख्या दो या अधिक है, तो इस अनुबंध के अंतर्गत ऋणियों की देयताएं संयुक्त व पृथक होंगी।

e) समस्त पत्राचार में, ऋणकर्ता और गारंटर द्वारा अनुबंध संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए।

f) इस अनुबंध के अंतर्गत कंपनी को प्राप्त समस्त उपचार चाहे यहां निर्दिष्ट किए गए हों या संविधि, लोक कानून, सामान्य कानून, प्रथा, व्यापार, या उपयोगिता द्वारा प्रदान किए गए हों, क्रमसंचयी होंगे और वैकल्पिक नहीं होंगे और क्रमिक या सहवर्ती रूप से प्रवर्तित किए जा सकते हैं।

g) इस अनुबंध में, संदर्भ के विपरीत या अन्यथा अर्थ अपेक्षित न होने पर:
i) एकवचन में बहुवचन तथा इसके विलोमतः सम्मिलित हैं।
ii) पुरूषवाची शब्दों में स्त्रीवाची तथा नपुसंकलिंगी अर्थ सम्मिलित होंगे।
iii) सर्वनामों "वह", "वह (महिला)", "यह", "उनके" इत्यादि में सजातीय भिन्नताएं अंतरपरिवर्तनीय रूप में प्रयुक्त हैं और संदर्भ के अनुरूप उनकी व्याख्या की जानी चाहिए।
iv) किसी व्यक्ति को इंगित करने वाले शब्दों में व्यक्ति, निगम, कंपनी, साझेदारी फर्म, न्यास, या कोई अन्य निकाय सम्मिलित हैं।
v) शीर्षक केवल संदर्भ के लिए हैं।

h) ऋणकर्ता/गारंटर के साझेदारी फर्म/कंपनी/एचयूएफ जैसा भी मामला हो, होने की स्थिति में इस अनुबंध की कालावधि के दौरान उनके संविधान में कोई परिवर्तन,ऋणकर्ता/गारंटर के दायित्व बाधित या निस्तारित नहीं करेगा।

28. विवाचन: इस अनुबंध से उत्पन्न समस्त विवाद, मतभेद और/या दावे चाहे वे इसके कार्यकाल में या इसके पश्चात हों,विवाचन एवं समाधान अधिनियम, 1996 या उसमें किए गए किन्हीं विधिक संशोधनों के प्रावधानों के अनुरूप निपटान किए जाएंगे और कंपनी द्वारा नामित एक विवाचक के एकल विवाचन को संदर्भित किए जाएंगे। ऐसे विवाचक द्वारा दिया गया निर्णय, इस अनुबंध के सभी पक्षों के लिए अंतिम और उन पर बाध्यकारी होगा। किसी नियुक्त विवाचक की मृत्यु हो जाने या किसी भी कारण से विवाचक के रूप में कार्य करने हेतु असमर्थ हो जाने, या अनिच्छुक होने की स्थिति में कंपनी, विवाचक की मृत्यु या उसकी असमर्थता या विवाचक के रूप में कार्य करने की अनिच्छा होने पर अन्य व्यक्ति को विवाचक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगी। ऐसा व्यक्ति, अपने पूर्ववर्ती द्वारा छोड़े चरण से संदर्भ लेकर आगे कार्यवाही करने का अधिकारी होगा। विवाचन कार्यवाहियों का स्थान चेन्नई या ऐसा कोई अन्य स्थान/अवस्थिति/शहर होगा जो कंपनी के अपने विवेकानुसार समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।

29. क्षेत्राधिकार: यह अनुबंध कंपनी द्वारा चेन्नई में स्वीकृत और निष्पादित किया गया है और भुगतानों सहित इसकी समस्त प्रसंविदाएं, नियम और शर्तेंचेन्नई में पालन और निष्पादित की जाएंगी और ऋणकर्ता और गारंटर विशेषरूप से सहमत हैं कि इसमें निहित विवाचन उपबंध के विषयाधीन, इस अनुबंध के कारण उत्पन्न या इससे संबंधित किन्हीं मामलों पर केवल चेन्नई न्यायालय को ही विशिष्ट क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।

30. स्वीकृति: ऋणकर्ता और गारंटर एतद्द्वारा निम्नानुसार घोषणा करते हैं: कि उन्होंने अनुसूचियों में दिए यथार्थ विवरणों सहित, जिसे उनकी उपस्थिति में भरा गया है, इस समस्त अनुबंध को पढ़ लिया है,

समस्त उपबंधों/विवरणों का समस्त अर्थ समझ लिया है, और उसका पालन करने के लिए सहमत हैं। उक्त सुविधा प्राप्त करने के प्रयोजन से उन्होंने अनिवार्य दस्तावेज़ निष्पादित कर दिए हैं। इस अनुबंध और अन्य दस्तावेज़ों को उन्हें समझ में आने वाली भाषा में उनको समझा दिया गया है और उन्होंने उनकी परिचित भाषा में मुद्रित इस ऋण के महत्त्वपूर्ण विवरण भी प्राप्त कर लिए हैं और उससे वे संतुष्ट हैं। यदि इस अनुबंध के स्थानीय भाषा संस्करण में शब्द/दों और/या उपबंध/धों के अर्थ/व्याख्या में इसके अंग्रेजी संस्करण से कोई असंगति हो, तो अंग्रेजी संस्करण की शर्त/शर्तें और/या उपबंध ही प्रचलित होंगे।वे सहमत हैं कि इस अनुबंध पर कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से यह अनुबंध अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा।

निम्न गवाहों की उपस्थिति में, नीचे अनुसूची में यथानिर्दिष्ट अनुसार दिन, माह और वर्ष को इस अनुबंध पर पक्षों द्वारा एतद्द्वारा हस्ताक्षर किए गए:

हस्ताक्षरित और प्रदत्त	हस्ताक्षरित और प्रदत्त	हस्ताक्षरित और प्रदत्त
नाम से	नाम सेनाम से	
कृते चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	ऋणकर्ता	गारंटर
प्राधिकृत हस्ताक्षरी	सह-ऋणकर्ता	

अनुसूची

नोटः समस्त लागू कर, ड्यूटी, उपभार, अधिभार, तथा उपकर, जिनमें अन्य के अलावा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) भी शामिल है, समय-समय पर यथासंशोधित रूप में उक्त निर्दिष्ट करयोग्य धनराशियों पर अतिरिक्त प्रभारित किए जाएंगे।

कृते चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

ऋणकर्ता

सह-ऋणकर्ता

गारंटर

<u>समस्त उपस्थित निम्नांकितों को मुखतारनामे की</u>

अविकल्पी शक्ति प्रदान करते हुए, मैं/हम

का पुत्र/पुत्री/पत्नी

(यहाँ से आगे ऋणकर्ता कहा गया है जिस अभिव्यक्ति में उसके वंशज/निष्पादक, प्रशासक, हितधारक प्रतिनिधि, आवंटी और उत्तराधिकारी शामिल हैं)

या

भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय निम्न पते पर है (यहाँ से आगे "ऋणकर्ता" कहा गया है जिस अभिव्यक्ति में उसके समस्त उत्तराधिकारी और आवंटी शामिल हैं)

या

मेसर्स	एक साझेदारी फर्म जिसका प्रधान
व्यवसाय स्थान	पर है और निम्न द्वारा और के बीच गठित है
श्री/श्रीमती	

और

(यहाँ से आगे "ऋणकर्ता " कहा गया है जिस अभिव्यक्ति में उक्त फर्म के समय काल में सभी साझेदार, और उत्तरजीवी या उनके उत्तरजीवी, और अंतिम उत्तरजीवी के वंशज, निष्पादक, प्रशासक शामिल हैं)

शुभकामनाएं प्रेषित

जहां मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 'डेयर हाउस' नं. 2, एन.एस.सी. बोस रोड, पैरीज, चेन्नई - 600 001 में है, (यहाँ से आगे "कंपनी" कहा गया है), ने मुझे/हमें (रुपये

की धनराशि ऋण के रूप में उन निबंधनों/नियमों के तहत स्वीकृत की है जो मेरे/हमारे और कंपनी के बीच निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले ऋण अनुबंध में निहित हैं।

यह कि मैं/हम ऋण अनुबंध अनुसूची दिनांकित में अधिक पूर्णता से वर्णित परिसंपत्ति को दृष्टिबंधित रखने के लिए, (यहाँ से आगे "परिसंपत्ति" कहा गया है) और मेरे/हमारे द्वारा कंपनी को ऋण, ब्याज तथा अन्य समस्त प्रभारों जो मेरे/हमारे द्वारा कंपनी को इस ऋण अनुबंध के अंतर्गत देय हो सकते हों, का समुचित पुनर्भुगतान/चुकौती सुनिश्चित करने के लिए एक प्रतिभूति के माध्यम से परिसंपत्ति पर कंपनी के पक्ष में प्रभार सृजित करने के लिए, सहमत हैं।

और यह कि मैं/हम ऋण अनुबंध के अंतर्गत कंपनी के हितों का संरक्षण करने के लिए निम्न कार्य, विलेख, मामले और कृत्य जैसा कहा गया है, करने के लिए एक अविकल्पी मुखतारनामा निष्पादित करने के लिए सहमत हैं।

1) कंपनी से ऋण की वांछना हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा किए गए विविध अभिवेदनों की सत्यता सत्यापित करने के लिए वर्तमान और पूर्व आगणन वर्षों के संदर्भ में मेरे/हमारे आयकर प्रतिदाय/यों और आगणन कार्यवाहियों, अपील कार्यवाहियों इत्यादि का सीधे निरीक्षण करना या किसी वकील, चार्टेड अकाउंटेंट, या रजिस्टर्ड व्यापारिक वृत्तिकार को निरीक्षण के लिए नियुक्त किया जाना।
2) मेरे/हमारे नियोक्ता और/या किसी व्यक्ति से अभीष्ट सूचनाएं प्राप्त करना, जैसा कंपनी द्वारा आवश्यक समझा जा सकता हो।
3) पंजीयन प्रमाणपत्र में दृष्टिबंधन का पृष्ठांकन प्रभावी करने के लिए, और परिसंपत्ति/वाहन का हस्तांतरण कराने के लिए भी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होना, और वकीलों या ऐसे किन्हीं अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से विक्रय कर अधिकारी व अन्य प्राधिकारियों के समक्ष भी उपस्थित होना, जैसा कंपनी द्वारा आवश्यक समझा जा सकता हो।
4) ऋण अनुबंध की शर्तों के अनुसार डिफॉल्ट की स्थिति में परिसंपत्ति का कब्जा लेना और परिसंपत्ति को रखना या अन्य प्रकार से उस पर कार्यवाही करना जैसा मेरे उक्त अटॉर्नी द्वारा परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त पाया जाए।
5) परिसंपत्ति का हस्तांतरण, विक्रय, या निस्तारण करना और हस्तांतरण, विक्रय या किसी अन्य निस्तारण को प्रभावी करने के लिए समस्त संविदाओं, घोषणाओं और लिखत पर हस्ताक्षर और निष्पादित करना जैसा अनिवार्य या समीचीन पाया जा सकता हो।
6) परिसंपत्ति सुपुर्द करना और इस संबंध में आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करना।
7) ऐसे विक्रय, हस्तांतरण या निस्तारण की प्राप्तियां प्राप्त करना, वैध पावती और देना और निस्तारण करना और प्राप्तियों को उस प्रकार समायोजित करना जैसा मेरे उक्त अटॉर्नी के विचार में उपयुक्त हो।
8) ऐसा कोई हस्तांतरण, विक्रय या निस्तारण या वसूली प्रभावी करने के लिए किसी मध्यस्थ को नियुक्त या सम्बद्ध करना, जैसा भी मामला हो सकता हो।
9) परिसंपत्ति के विक्रय पर उसके पंजीयन हेतु उपयुक्त प्राधिकारी को नोटिस देना।
10) परिसंपत्ति की सुपुर्दगी और कब्जा लेना, जैसे और जब कंपनी द्वारा अनिवार्य पाया जा सकता हो।

11) कंपनी द्वारा किसी भी कारण से ऋण राशि वापसी का निर्णय लिए जाने पर, निर्माता या डीलर से वाहन की बुकिंग निरस्त करना और बुकिंग धनराशि और निर्माता या डीलर के पास जमा कराई गई कोई अन्य धनराशि प्राप्त करना और उसे कंपनी के प्रति देय मेरे/हमारे ऋण के सापेक्ष समायोजित करने के लिए उपयोग करना।

12) इस प्रकार एजेंटों को नियुक्त करना जैसा कंपनी द्वारा उपयुक्त पाया जाए और उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करना जैसा कंपनी द्वारा अनिवार्य पाया जाए और कंपनी द्वारा निर्धारित उपयुक्त शर्तों के अनुसार नियुक्त एजेंटों को एतद्द्वारा ये शक्तियां प्रदान करना।

और इन वक्तव्यों से संबंधित या इनसे सरोकार रखने वाले समस्त कृत्यों, विलेखों, मामलों और कार्यों को सामान्यतया करने, संपन्न और निष्पादित करना जैसा मेरे उक्त अटॉर्नी द्वारा पूर्णरूपेण और प्रभावोत्पादक ढंग से करना उपयुक्त पाया जाए जैसे कि वे मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए, संपन्न या निष्पादित किए गए हों।

ऋणकर्ता

और मैं/हम एतद्द्वारा प्रदत्त उक्त प्राधिकार के फलस्वरूप और अनुरूपता में कंपनी द्वारा किए जा सकने वाले समस्त और किन्हीं भी कार्यों की अभिपुष्टि और पुष्टि करने के लिए एतद्द्वारा सहमत हैं।

मैं/हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि कंपनी के पक्ष में निष्पादित उक्त मुखतारनामा अविकल्पी है और इस उपबंध के प्रावधानों के अंतर्गत मेरे/हमारे द्वारा किया गया कोई कार्य, कृत्य या मामला मेरे/हमारे पर बाध्यकारी होगा और उसके संबंध में मेरे/हमारे द्वारा किए गए कृत्यों, कार्यों, मामलों पर अधिभावी प्रभाव होगा।

यह मुखतारनामा प्रदान करने के लिए प्रधान और अटॉर्नी के बीच कोई प्रतिफल (कंसीडरेशन) नहीं दिया गया है।

गवाहों की उपस्थिति में मैंने/हमने यहां उल्लेखित दिन को मेरे/हमारे हस्ताक्षर किए।

ऋणकर्ता/ओं

श्री/सुश्री/श्रीमती के नाम से हस्ताक्षरित और प्रस्तुत किया गया

आज के दिन

निम्न की उपस्थिति में

गवाह:

नाम:

पता:

पीएसए घोषणा पत्र

दिनांक:

को
चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड चेन्नई।

प्रिय महोदय

(a) मैं/हम _____ (निर्माता) उपक्रम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि संयंत्र और मशीनरी [भूमि एवं भवन और फर्नीचर, फिटिंग्स और ऐसे ही अन्य आइटमों को छोड़कर मूल लागत] में मेरा/हमारा निवेश रु. _____ है।

(b) मैं/हम _____ (सेवाएं) उपक्रम जो कि सेवाएं प्रदान करने/देने में रत हैं, एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि उपकरण (भूमि एवं भवन और फर्नीचर, फिटिंग्स और ऐसे ही अन्य आइटमों को छोड़कर मूल लागत) में मेरा/हमारा निवेश रु. _____ है।

(c) मैं/हम _____ (एसआरटीओ) उपक्रम जो कि लघु सड़क एवं जल परिवहन संचालक कार्य में रत हैं, एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि उपकरण (भूमि एवं भवन और फर्नीचर, फिटिंग्स और ऐसे ही अन्य आइटमों को छोड़कर मूल लागत) में मेरा/हमारा निवेश रु. _____है।

इसके अलावा हम पुष्टि करते हैं कि प्रस्तावित खरीद सहित हमारे पास वाहनों की कुल संख्या .....

मैं/हम अवगत हैं कि इस अभिवेदन, घोषणा और पुष्टि के प्रति विश्वास के आधार पर आप उक्तानुसार वित्तीय सहायता हेतु मेरे उक्त आवेदन पर विचार करने के लिए सहमत हुए हैं। मैं/हम यह भी समझते हैं कि पीएसए के अंतर्गत आपके ऋणदाता बैंक को ऋणकर्ता के वर्ग की रिपोर्ट देने के लिए उक्त घोषणा आवश्यक है।

धन्यवाद,

☞	☞	☞
ऋणकर्ता	सह-ऋणकर्ता	गारंटर

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

मानक	उत्पादन/निर्माण	सेवा
सकल ब्लॉक (उत्पादन/निर्माण श्रेणी के लिए संयंत्र एवं मशीनरी) / (सेवा श्रेणी के लिए उपकरण)	5 लाख तक	2 लाख तक
एम 7 (कृपया यहां निशान लगाएं यदि लागू हो)		
सकल ब्लॉक (उत्पादन/निर्माण श्रेणी के लिए संयंत्र एवं मशीनरी) / (सेवा श्रेणी के लिए उपकरण)	5 लाख से अधिक और 25 लाख तक	2 लाख से अधिक और 10 लाख तक
एम 2 (कृपया यहां निशान लगाएं यदि लागू हो)		
सकल ब्लॉक (उत्पादन/निर्माण श्रेणी के लिए संयंत्र एवं मशीनरी) / (सेवा श्रेणी के लिए उपकरण)	25 लाख से अधिक और 5 करोड़ तक	10 लाख से अधिक और 5 करोड़ तक
एम 3 (कृपया यहां निशान लगाएं यदि लागू हो)		

पीएसए घोषणा पत्र - कृषि क्षेत्र

दिनांक:

सेवा में,
चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
चेन्नई।

प्रिय महोदय

यह घोषित किया जाता है कि मेरे नाम _____ एकड़ कृषि भूमि है और हकदारी _____ के नाम से है।

उक्त उल्लेखित कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज़ों की प्रति मेसर्सचोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को प्रदान की गई है और मैं/हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि उक्त कृषि संपत्ति पर हमारा पूर्ण अधिकार, हकदारी और हित है। उक्त दृष्टिबंधित परिसंपत्ति मेरी/हमारी कृषि भूमि की कृषि उपज/को इनपुट/के परिवहन के लिए उपयोग किया जाएगा।

- ❑ मैं/हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा वित्तपोषित दृष्टिबंधित परिसंपत्ति कृषि उपज के परिवहन के लिए उपयोग किया जा रहा है/जाएगा।

- ❑ मैं/हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि परिसंपत्तियों के गिरवी/बंधक के सापेक्ष मेरे द्वारा चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से प्राप्त पुनर्वित्तीयन/टॉप अप ऋण का उपयोग कृषि एवं सहायक गतिविधियों हेतु उत्पादन तथा निवेश आवश्यकताओं के वित्तपोषण हेतु कार्यशील पूंजी के प्रयोजन से उपयोग किया जाएगा।

मैं/हम अवगत हैं कि इस अभिवेदन, घोषणा और पुष्टि के प्रति विश्वास के आधार पर
चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड उक्तानुसार वित्तीय सहायता हेतु मेरे उक्त आवेदन पर विचार करने के लिए सहमत हुए हैं। मैं/हम यह भी समझते हैं कि वरीयता सेक्टर के अंतर्गत आपके ऋणदाता बैंक को ऋणकर्ता के वर्ग की रिपोर्ट देने के लिए उक्त घोषणा आवश्यक है।

धन्यवाद

ऋणकर्ता | सह-ऋणकर्ता | गारंटर

"माँग वचन पत्र"

स्थान: .....

तिथि: .....

माँग पर हम संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से मैसर्स चोलमंडलम् इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड या आदेश चेन्नई का भुगतान की इस तिथि से प्राप्त किये गये मूल्य पर .....ज के साथकी दर से ब्या (आईआरआर) प्रतिशत प्रति वर्ष .....
.....रुकी .
धनराशि का पूर्ण भुगतान करने का वचन देते हैं।

रु. .....

नाम .....
पूरा पता .....
.....

हस्ताक्षर
(ऋणकर्ता)

नाम .....
पूरा पता .....
.....

हस्ताक्षर
(ऋणकर्ता-सह)

नाम .....
पूरा पता .....
.....

हस्ताक्षर
(गारंटीकर्ता)

से,

श्री.....

पुत्र.....

पता.....

.....

सेवा में,

चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,
डेयर हाउस नं.2, एन.एस.सी. रोड,
पैरीज, चेन्नई - 600 001.

प्रिय महोदय

विषय: एसएमएस/ईमेल/टेली-कॉलिंग इत्यादि भेजने के लिए प्राधिकार पत्र

संदर्भ: मेरा मोबाइल नं...../लैंडलाइन नं. .....

ईमेल आईडी:.....

मैं आपकी कंपनी को ***एतद्द्वारा निम्न हेतु प्राधिकृत*** करता हूं:

a. किसी लेनदेन संबंधी (अंतरण) संदेशों के एसएमएस/ईमेल भेजने के लिए,

b. किसी वाणिज्यिक, प्रचार-प्रसार, मार्केटिंग संदेश/संप्रेषण या ऐसी ही कोई अन्य सूचनाएं एसएमएस/ईमेल करने के लिए

c. जन्मदिन/वैवाहिक वर्षगांठ सहित किसी अवसर पर शुभकामनाओं वाले एसएमएस / ईमेल भेजने के लिए;

उक्त उल्लेखित मोबाइल/लैंडलाइन नंबरों और/या ईमेल आईडी पर, और उस पर टेलीकॉलिंग के लिए भी, यद्यपि मैंने टीआरएई, एनडीएनसी द्वारा अनुरक्षित नेशनल कस्टमर प्रिफरेंस रजिस्टर या अन्य ऐसे किसी डेटाबेस या प्राधिकारी के यहां पहले से पंजीयन कराया हुआ है।

इसके अलावा एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं कि:

a) अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषणों के संदर्भ में मैं टीआरएआई के विनियमों/दिशानिर्देशों से अवगत हूं,

b) उक्त के संदर्भ में मैं टीडीएसएटी, एन सीपीआर, एनडीएनसी के महत्त्व, अपेक्षाओं और इनके अंतर्गत सुविधाओं से अवगत हूं,

c) इस प्राधिकार के आधार पर आप द्वारा भविष्य में भेजे जाने वाले किसी एसएमएस/ईमेल या टेली-कॉल संदेश, विज्ञापन, प्रचार-प्रसार मार्केटिंग या ऐसे ही किसी अन्य संप्रेषण के विरूद्ध या उसके संदर्भ में मैं किन्हीं प्राधिकारियों या नियामकीय निकायों से कोई शिकायत या दावा नहीं करूंगा, और

d) इस संबंध में चोला, इसके निदेशकों, अधिकारियों कर्मचारियों, एजेंटों/सेवा प्रदाताओं को यदि कोई हानि या क्षति होती है तो मैं उन्हें क्षतिपूरित रखूंगा।

धन्यवाद,

भवदीय,

☞

नाम .....

मोबाइल नं. .....

लैंडलाइन नं. .....

ईमेल आईडी .....

बीमा हस्तांतरण

से:
दिनांक:

को:

प्रिय महोदय,

प्रमाणपत्र सं.:
………
…………… जिसमें. ………………………………………….……………………………….पंजीकरण संख्या वाला वाहन कवर है,
मैं/हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि मैं/हम ने मेरा/हमारा वाहन जिसकी पंजीकरण संख्या उक्त है, को
……………………………………………………………………….को बीमा के साथ बेच दिया है। कृपया उसके/उनके पक्ष में स्थानांतरित पॉलिसी में हित ग्रहण करें।

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

प्रिय महोदय,

अनापत्ति प्रमाणपत्र

मैं/हम ने मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (वित्तपोषक) से.....
वाहन/उपकरण पंजीयन/पहचान सं ऋण अनुबंध सं. ..... के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया है।

दुर्घटना के कारण मरम्मत की स्थिति में मेरे द्वारा किए गए किसी दावे के मामले में, मैं उक्त वाहन/उपकरण की क्षति के कारण कुल हानि/नकद हानि को प्रतिस्थापित करूंगा, मैं/हम आपको एतद्द्वारा उक्त उल्लेखित वित्तपोषक से दावे निपटान करने के लिए आपको अविकल्पी रूप से एतद्द्वारा प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं।बीमा कंपनी के समक्ष मेरे/हमारे द्वारा ऐसे दावे प्रस्तुत करने में किसी विफलता की स्थिति में, वित्तपोषक मेरी/हमारी ओर से उसे दाखिल करेगा और तब बीमा कंपनी ऐसे दावे का निपटान सीधे वित्तपोषक को करेगी।

इसके अलावा मैं/हम अभिस्वीकृति देता हूँ/देते हैं कि वित्तपोषक को उक्त धनराशि का निपटान, मुझे/हमें निपटान किए जाने वाले दावे के समतुल्य होगा।

स्थान: ☞

दिनांक: ऋणकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर

अतिरिक्त सुरक्षा पत्र

द्वारा:

सेवा में,

चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
"डेयर हाउस"
नं. 2 (ओल्ड नं. 234), एनएससी बोस रोड
चेन्नई - 600 001.

श्रीमान जी,

मैंने ऋण सुविधा की वांछना करते हुए आपके समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है। मैं इसे समझता हूं कि मेरे द्वारा आपके वित्तपोषण मानक पूरे न किए जाने की स्थिति में मेरा आवेदन स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

मेरे द्वारा आपसे किए जाने वाले इस ऋण अनुबंध के अंतर्गत बकाया और देय ऋण किश्तों एवं समस्त अन्य धनराशियों की त्वरित और समुचित पुनर्भुगतान/चुकौती के लिए मैं बंधक प्रतिभूति के रूप में मेरे स्वामित्व वाला अन्य वाहन/उपकरण प्रस्तुत करने का इच्छुक हूं। इस प्रयोजन से मैंने एक पृथक पत्र इसके साथ में संलग्न किया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया बंधक प्रतिभूति के रूप में मेरा वाहन स्वीकार करने की कृपा करें और मेरे प्रस्ताव पर कृपापूर्वक विचार करें।

भवदीय,

☞

द्वारा:

सेवा में,

चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
"डेयर हाउस" नं. 2 (ओल्ड नं. 234),
एनएससी बोस रोड चेन्नई - 600 001.

1..... पुत्र.....

निवासी .....

एतद्द्वारा मेरा वाहन/उपकरण जिसकी पंजीयन/पहचान संख्या,
.....

इंजन नं. ..... और चेसिस नं. ..... मेरे द्वारा आपसे किए जाने वाले इस ऋण अनुबंध के अंतर्गत ऋणकर्ता के रूप में, बकाया और देय ऋण किश्तों, अतिरिक्त ब्याज और कोई अन्य प्रभार जो प्रोद्भूत हो सकते हों, सहित समस्त धनराशियों की त्वरित और समुचित पुनर्भुगतान/चुकौती के लिए मैं बंधक प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं।

किसी एक भी किश्त के भुगतान में मेरे द्वारा चूक किए जाने की स्थिति में, आप मुझे कोई सूचना दिए बिना उक्त वाहन/उपकरण को पुनः कब्जे में लेने और बेचने के लिए प्राधिकृत होंगे और यह कार्यवाही न्यायालय के किसी हस्तक्षेप के बिना की जाएगी। ऐसी स्थिति में, वाहन/उपकरण को पुनः कब्जे में लेने और विक्रय करने का आपका अधिकार, हमारे बीच किए गए इस ऋण अनुबंध में, ऋण अनुबंध के अंतर्गत दृष्टिबंधित वाहन/उपकरण के पुनः कब्जा और विक्रय के संबंध में निर्धारित शर्तों से प्रशासित होगा।

मैं उक्त वाहन/उपकरण के पंजीयन प्रमाणपत्र/इनवाइस में दृष्टिबंधन पृष्ठांकन किए जाने की व्यवस्था करूंगा और उसकी एक प्रति समुचित निष्पादित मोटर वाहन फार्मों के साथ आपके सुपुर्द करूंगा।

भवदीय,

☞

ऋण धनराशि का अंतिम उपयोग (नया वाहन/उपकरण)

सेवा में,

चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

संदर्भ: ऋण आवेदन सं. _____

विषय: वाहन/उपकरणके लिए ऋण, मॉडल _____

मैं/हम पुष्टि/घोषणा करते हैं कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई से ऋण लेकर खरीदा जाने वाला प्रस्तावित वाहन/उपकरण, व्यावसायिक उद्देश्य से उपयोग किया जाएगा।

मैं/हम पुष्टि/घोषणा करताहूँ/करते हैं किकि ऋण प्राप्तियों को किन्हीं भी परिस्थितियों में किसी आपराधिक कृत्यों/मनी लांड्रिंग/आतंकवादी वित्तपोषक क्रियाकलापों हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा।

मैं/हम अवगत हैं कि इस अभिवेदन, घोषणा और पुष्टि पर विश्वास करते हुए चोलामंडलम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार करने हेतु सहमति दी है।

धन्यवाद,

ऋणकर्ता

सह-ऋणकर्ता